हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

17 अगस्त, 1972

खण्ड 2, अंक 3

अधिकृत विवरण

विषय सूची

वीरवार 17 अगस्त, 1972

	पृष्ठ संख्या
तारंकित प्रश्न एवं उत्तर	(3) 25
नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गए तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर	(3) 25
ध्यानाकर्षण सूचना	(3) 26
गैर सरकारी प्रस्ताव	(3) 29

हरियाणा विधान सभा

वीरवार 17 अगस्त, 1992

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9–30 बजे हुई।

अध्यक्ष (श्री बनारसी दास गुप्त) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, प्रश्नोत्तर काल ! **श्री के0 एन0 गुलाटी।**

Shortage of Drinking Water at Faridabad

37. Shri K. N. Gulati : Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to solve the problem of drinking water in Faridabad.

Chief Minister (Chaudhri Banis Lal) : Yes.

श्री के0 एन0 गुलाटी : स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री साहब ने जो ''यस'' में जवाब दिया हैं उसकी तो मुझे खुशी हैं लेकिन

मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं। कि वहां पर कब तक पानी दे दिया जाएगा?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब मैं आप की मारफत मैंबर को बताना चाहता हूं कि वहां पर काम शुरू हो रहा हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Honourable Chief Minister if such water problem will also be solved in other towns of the State with particular reference to Sonepat ?

Chaudhri Bansi Lal : Yes, Sir. We are doing about Sonepat also.

चौधरी दल सिंह : क्या मुख्य मंत्री साहब बताएगें कि जिस तरह वह फरीदाबाद में पीने का पानी दे रहे हैं उसी तरह स्टेट में जिन–जिन दूसरी जगहों पर पानी नहीं है वहां पर भी पीने के पानी का इन्तजाम करेंगें?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, स्टेट के सभी हिस्सों में जहां–जहां म्युनिस्पैलिटीज हैं और पीने के पानी की शॉर्टेज हैं, उस को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही हैं। हमारी कोशिश हैं कि अगले एक डेढ़ साल के अन्दर–अन्दर ऐसी किसी जगह पर भी पीने के पानी की कमी न रहे।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मुख्य मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि पानी सारा दिन सप्लाई होगा या सुबह शाम मिलेगा या दिन में एक दो बार मिला करेगा ?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, हरेक आऊन के अलहदा–अलहदा हालात होते हैं, किसी जगह पर दिन भर भी पानी चल सकता हैं और किसी आऊन में अगर दो–चार घण्टे पानी चलाने से काम चल सकेगा तो इतने टाईम के लिए दिया जा सकता हैं। तो इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि पानी कितनी–कितनी देर दिया जाएगा। लेकिन स्पीकर साहब, मैं यह कह सकता हूं कि पीने के पानी की कमी को दूर कर दिया जाएगा।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मुख्य मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में कितने ऐसे गांव हैं जहां पर पीने के पानी की कमी हैं?

चौधरी बंसी लाल : तकरीबन 3500 से 4000 के लगभग ऐसे गांव हैं जहां पीने के पानी की कमी हैं।

राव अभय सिंह : रिवाड़ी का इलाका चूंकि खारी चक है और पर लोगों को दो–दो तीन–तीन मील से पीने का पानी लाना पड़ता लाना पड़ता हैं, उनकी इस तकलीफ को मद्दे नजर रखते हुए क्या मुख्य पंत्री साहब बताएंगे कि वहां पर प्रायोरिटी बेसिज पर पीने का पानी देने का इन्तजाम करेंगे?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि रिवाड़ी में कई पैचिज ऐसे हैं जहां दूर–दूर से लोगों को पीने का पानी लाना पड़ता हैं। मैंबर साहब को बताना चाहता हूं कि हमारी दो–तीन स्कीमें रिवाड़ी के लिए इसी साल शुरू होने वाली हैं।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मुख्य मुंत्री साहब ने बताया था कि जहां–जहां म्युनिस्पैलिटीज हैं वहां पर पीने के पानी की सुविधाएं दी जाएंगी। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर देहातों में म्युनिस्पैलिटीज नहीं हैं उन देहातों में भी पीने का परी मुहैया किया जाएगा कि नहीं?

चौधरी बंसी लाल : देहातों को भी दिया जाएगा, लेकिन साल–डेढ़ साल में वहां सब गांवों में पूरा इन्तजाम नहीं हो सकेगा क्योंकि चार हजार के लगभग ऐसे गांवों की तादाद हैं। उन के लिए पहले एस्टीमेट के मुताबिक 80 करोड़ रुपये की जरूरत थी लेकिन अब तो और भी ज्यादा हो गया हैं, इसलिए इतनी जल्दी नहीं हो सकेगा, लेकिन हम पीने के पानी का इन्तजाम हर जगह करेंगे।

चौधरी फूल चन्द : क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि वाटर सप्लाई के मुताल्लिक पहले जो स्कीमें बनी हुई थीं वे किन मसलाहत के तहत दब गई हैं। साल्हावास की जो स्कीम थी, वह क्यों पोस्टपोन हो गई हैं?

चौधरी बंसी लाल : यह सवाल तो सिर्फ फरीदाबाद के मुताल्लिक था, साल्हावास के मुताल्लिक मैं पता कर लूंगा, लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि गवर्नमैंट की हर इलाके को पानी देने की कोशिश हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : खरखोदे के मुताल्लिक भी मुख्य मंत्री साहब बता दें!

चौधरी बंसी लाल : मैं पता करूंगा।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा : स्पीकर साहब, अम्बाला जिला में भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी की बहुत किल्लत हैं। जब बारिश नहीं होती तो बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों को मवेशियों को पानी पिलाने के लिए तीन–तीन मील की दूरी पर जाना पड़ता हैं। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से यह बात जानना चाहूंगा कि क्या अम्बाला जिला में पीने का पानी देने के लिए कोई खास स्कीम हैं?

चौधरी बंसी लाल : हां जी, अम्बाला के जिले के लिए खास स्कीम हैं और वहां पर कुछ काम निकट भविष्य में शुरू होने वाला हैं। यह बात ठीक कि अम्बाला में बहुत से गांवो में पीने के पानी की किल्लत हैं।

चौधरी दल सिंह : क्या मुख्य मंत्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि जींद में कितने गांवो में पानी दिया जा चुका है

और कितने गांव ऐसे हैं जिनमें अभी पीने का पानी नहीं दिया गया?

चौधरी बंसी लाल : जींद में सिर्फ 90 गांवों में पीने का पानी हैं और 210 गांवों में अभी नहीं हैं।

शाह हकूमत राय : पानीपत म्युनिस्पिल कमेटी में पीने का पानी देने की जो स्कीम बनी थी, उसके मुताबिक जो लोगों का शेयर बनता था वह पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के पास जमा करवा दिया था लेकिन मुझे अफसोस के साथि कहना पड़ता हैं कि उस लोकेलिटी में बोर तो कर दिया है लेकिन अगली लाईन में जो पानी मिलना था वह नहीं दिया गया। क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि जब लोगों ने अपने शेयर के पैसे भी जमा करवा दिए हैं तो उस काम को क्यों पूरा नहीं किया गया? उस को कब तक मुकम्मल कर दिया जाएगा?

चौधरी बंसी लाल : मैं इस केस का पता कर लूंगा, इस वक्त औफ हैंड कुछ नहीं कह सकता।

श्री के0 एन0 गुलाटी : क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि फरीदाबाद में 4 नम्बर सैक्टर में जो ज्यादा पानी है वह पांच नम्बर सैक्टर में लोगों को पीने के लिए क्यों नहीं दिया जाता ?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैंने पहले भी अर्ज की थी कि फरीदाबाद कम्पलैक्स अभी 15 जनवरी, 1972 को बना है और उस से पहले वहां पर अलग–अलग म्युनिस्पैलिटीज थीं।

इसलिए उनके अलग–अलग टाईम थे और अलग–अलग स्कीमें थी। मगर अब चूंकि एक ही कम्पलैक्स बन गया हैं, इसलिए वहां पर काम होना शुरू हो गया हैं। किसी जगह लाईनें डाल दी गई हैं, कहीं डाली जा रही हैं, कहीं रैजरवायर बन चुके हैं और कहीं पर बनाने का काम शुरू करने वाले हैं। लेकिन आप जानते हैं कि काम को करने के लिए टाईम तो कुदरती तौर पर लगता ही हैं।

राव दलीप सिंह : क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ में जहां पर लाईन्ज नहीं हैं वहां पर पीने के पानी की स्कीम को टाप प्रायोरिटी दी जाएगी?

चौधरी बंसी लाल : जी हां, दी जाएगी!

चौधरी अब्दुर रज्जाक खां : पिछले दिनों नहरें और ड्रेन्ज बनने की वजह से जहां–जहां लोगों के पीने के पानी के कुएं दूर पड़ गए हैं, क्या वहां पर भी पीने का पानी देने की स्कीम को प्रायोरिटी दी जाएगी?

चौधरी बंसी लाल : हां जी, जरूर दी जाएगी।

चौधरी शिव राम वर्मा : मेरे हल्के नीलोखेड़ी में एक अमीन नाम का गांव है जो कि काफी ऊंचाई पर बसा हुआ हैं और नीचे से पानी ले जाने में बहुत कठिनाई होती हैं और जिसके लिए पीने के पानी की स्कीम हो चुकी हैं लेकिन अभी तक वहां पर काम नहीं हो रहा हैं। क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि वहां काम न शुरू किए जाने की वजह क्या हैं ?

चौधरी बंसी लाल : मैं इसका पता कर लूंगा।

चौधरी फूल चन्द (मुलाना) : क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि मुलाना में, जहां पर पब्लिक हाइड्रैंटस लगे हुए हैं, वहां पर आप लोगों को प्राईवेट कनैक्शन भी देने के लिए तैयार हैं ?

चौधरी बंसी लाल : जी नहीं।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि करनाल में जो आगमैंटेशन आफ कैनाल वाटर का काम चल रहा हैं, जिससे पानी आगे हिसार में जायेगा और फिर ट्यूबवैल्ज भी लगाये जा रहे हैं, इससे जिला करनाल में पानी की कमी नहीं हो जायेगी और अगर हो जायेगी तो करनाल को पानी कहां से दिया जायेगा ?

चौधरी बंसी लाल : मैंबर साहब ने जो सप्लीमैंटरी किया है वह बड़ा ही मिसलीडिंग है कि पानी हिसार जायेगा मैं कहना चाहता हूं कि आगमैंटेशन कैनाल, सारे के सारे वैस्टर्न यमुना कैनाल सिस्टम को आगमैंट करेगी, जिसका ज्यादातर हिस्सा रोहतक को जायेगा। करनाल में भी, जहां पानी लगता हैं, वहां भी पानी जायेगा और जहां–जहां जितना पानी पहले मिलता हैं, वहां उसी रेशे से पानी जायेगा। इसलिए सिर्फ हिसार जिला की बात कह देना कि सारा पानी वहां जायेगा, यह हाउस को मिसलीड करने वाली बात मैंबर साहब ने की हैं, जो कि सही नहीं हैं।

राम अभय सिंह : इस बात को देखते हुए कि रिवाड़ी जिला गुड़गांव को एक बड़ा शहर है और वहां पानी की स्कीम ज्यादा कामयाबी से नहीं चल सकी हैं और जो मौजूदा कमेटी हैं उसके पास फंडज नहीं हैं क्या गवर्नमैंट वहां के लिये, पीने के पानी के लिये स्पैशल प्रोवीजन रखने का इरादा रखती हैं ?

चौधरी बंसी लाल : मेरा ख्याल है कि रिवाड़ी के बारे में इस सिलसिले में पैसे के लिये केस ऐल0 आई0 सी0 को भेजा हुआ हैं और पता नहीं वह पैसा अलाट होकर आ गया है या आने वाला हैं लेकिन मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा केस जरूर हैं। वैसे रिवाड़ी में पीने के पानी की शॉर्टेज सरकार के नोटिस में हैं।

चौधरी दल सिंह : चीफ मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि आगमैंटेशन कैनाल का पानी जिला रोहतक को मिलेगा लेकिन पहले उन्होंने यहां हाउस में बताया था पिछले सैशन में जींद को मिलेगा! तो इसमें कौन सी बात सही हैं ?

चौधरी बंसी लाल : आनरेबल मैंबर ने एक बार फिर हाउस को मिसलीड करने की कोशिश की हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं कि मैंने यह कहा हैं कि आगमैंटेशन कैनाल का पानी पूरे वैस्टर्न जमुना कैनाल सिस्टम को आगमैंट करेगा और इसका ज्यादा हिस्सा रोहतक जिला को जाएगा।

श्री अध्यक्ष : मैं मैंबर साहबान को बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने जवाब में यह बताया था कि यह पानी पूरे

वैस्टर्न जमुना कैनाल सिस्टम को आगमैंट करेगा और साथ में उन्होंने यह भी कहा कि जहां जितना पानी पहले मिलता है वहां उसी रेशे से यह पानी बढ़ेगा।

श्री अमर सिंह : मैं चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि अब तक भी जिला हिसार में लोग पीने के लिये पानी गांव में चार–चार मील से लाते हैं और जोहड़ों का पानी पीते हैं। क्या यह बात उनके नोटिस में हैं ?

चौधरी बंसी लाल : यह बात दुरुस्त हैं कि लोग दूर से पानी लाकर पीते हैं लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया हैं, हम पूरी स्टेट को पानी देना चाहते हैं लेकिन ऐसा करने में नैचुरली कुछ समय तो लगेगा की क्योंकि काम बड़ा हैं।

श्री हरि सिंह : सम्भालखा में एक सीवा गांव है जो जी0 टी0 रोड पर हैं। वहाँ पर कूओं में पानी सूख गया हैं। क्या यह बात चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में हैं और अगर है तो क्या वहां पानी की स्कीम लागू करने का विचार सरकार रखती हैं ?

चौधरी बंसी लाल : अभी तक मेरे नोटिस में सीवा गांव की कोई ऐसी तकलीफ नहीं आई हैं। अगर वह नोटिस में लोयेंगे तो सरकार जरूर कन्सिडर करेगी।

चौधरी शिव राम वर्मा : यह जो आगमैंटेशन कैनाल की बात यहां आई है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या

उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि करनाल में बेशुमार ट्यूबवैल लग रहे हैं और वैस्टर्न जमुना कैनाल जो कच्ची चलती थी अब उसका पानी भी पक्की नहर में चलेगा और इस तरह से जमीन में पानी की कमी हो जाने की वजह से करनाल की भी वहीं हालत नहीं हो जायेगी जो हिसार की हैं और अगर ऐसी हालत हो जायेगी तो उसके लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं?

चौधरी बंसी लाल : वैसे तो यह सवाल फरीदाबाद टाडनशिप में पीने के पानी के बारे में था लेकिन यह चलता–चलता यहां तक आ पहुंचा हैं (हंसी) खैर, अब उन्होंने पूछा है तो हाउस की जानकारी के लिये बताना चाहता हूं कि हम ने अंडर–ग्राउंड वाटर की थारो रिसर्च कराई है और पता लगा है कि अंदर इतना पानी है कि कमी नहीं आयेगी।

श्री के0 एन0 गुलाटी : मैं अर्ज करना चाहता हूं कि फरीदाबाद आउनशिप में जितने पानी के कनैक्शन हैं, वह ज्यादा मजदूरों के पास हैं और उनको पीने के लिये पानी नहीं मिलता ... . (शोर) ..... क्या उनके पानी के बिलों की वसूली बंद कर दी जायेगी ?

श्री अध्यक्ष : गुलाटी साहब, अब आप बैठ जायें। इस सवाल का जवाब आ चुका हैं।

श्री के0 एन0 गुलाटी : स्पीकर साहब, मेरी अर्ज है कि वहां पर मजदूरों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता, बिलों के पैसे उनसे ले लिये जाते हैं यह उनके साथ बहुत ज्यादती हैं .....

श्री अध्यक्ष : गुलाटी साहब, यह प्रश्न काल हैं, इसमें डिस्कशन नहीं हो सकती। अब आप तशरीफ रखें।

राव बंसी सिंह : महेन्द्रगढ़ में खारा पानी हैं और पीने के लिये मीठा पानी नहीं मिलता ! क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि वहां पर लोगों को पीने के लिये मीठा पानी कब तक मिल जायेगा ?

चौधरी बंसी लाल : हमारा इरादा है कि जिला महेन्द्रगढ़, जींद और अम्बाला, जहां पर पीने के पानी की ज्यादा दिक्कत हैं वहां की यह तकलीफ पहले दूर करें। हम इन तीनों जिलों को दूसरों के मुकाबले में इस सिलसिलें में प्रैफरैंस देंगे।

चौधरी राम लाल वधवा : चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि क्या सरकार ने कोई ऐसी प्लानिंग बना ली है कि किस–किस गांव में कितने–कितने समय में डैफिनिटली पीने का पानी मुहैया कर देंगें ?

चौधरी बंसी लाल : इस बारे में गांव की कैटेगरीज बनाई हुई हैं कि कौन से गांव ऐक्यूट शौर्टेज आफ ड्रिंकिंग वाटर की डैफिनिशन में आते हैं और कहां पर कितने परसैंट शौर्टेज हैं, तो वहां पर ऐक्यूट शौर्टेज समझी जायेगी और यह पब्लिक हैल्थ

डिपार्टमैंट वालों के पास हैं। उन कैटेगिरीज के हिसाब से जहां पर जितनी शौर्टेज हैं, उस हिसाब से प्रायरिटी देकर, प्लान बना कर पानी देना फेस आउट किया जायेगा।

110. Chaudhri Dal Singh, : Will the Chief Minister be pleased to state:

(a) whether the Milk Plant at Jind ran at profit in the year 1970-71 and 1971-72 ;

(b) if so, the total amount of profit in the year 1970-71 and 1971-72, separately ; and

(c) if the answer to part (a) above be in the egative the total loss suffered by the plant in the years 1970-71 and 1971-72 ?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) :

(a) 1970-71. No.

1971-72. The Accounts for the year have not been finalised as yet.

(B) 1970-71. Nil

1971-72. As against part (a) above.

(c) 1970-71. There was a net loss of Rs. 16,44,862.62 during the year which includes Rs. 8,10,600.09 depreciation on net assets and Rs. 8,15,314.00 as Development Rebate Reserve according to law.

चौधरी दल सिंह : मुख्य मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के ''पार्ट (सी)'' के जवाब में फरमाया है कि मिल्क प्लांट को एक साल में 16,44,862 रुपये का नुकसान हुआ हैं। मैं जानना चाहता हूं कि डैप्रिसिएशन को छोड़कर बाकी नुकसान का क्या कारण हैं ?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, हरियाणा डेरी डिवैल्पमैंनट कारपोरेशन 3 नवम्बर 1969 को रजिस्टर कराई गई थी, इसके बाद जींद में मिल्क प्लांट लगाने का काम शुरू हुआ और यह 5 दिस्म्बर, 1970 को चालू हुआ। पहला जो अकाउंट मैंने बताया हैं वह उसी हिसाब से बताया हैं। प्रैक्टिक्ली यह प्लांट 5 दिसम्बर, 1970 से 31 जनवरी, 1971 तक, कोई दो महीने, इस दौरान काम कर पाया हैं और बाकी समय में कंस्ट्रक्शन वर्क होता रहा हैं। डैप्रिसिएशन वैल्यू जो हैं वह 16, 25, 914 रुपये बनती है और इसे छोड़कर अगर ऐक्चुअल लौस देखा जाये तो 18,948 रुपये बनता हैं ?

चौधरी दल सिंह : ''पार्ट (ए)'' के जवाब में बताया गया है कि साल 1970–71 में कोई मुनाफा नहीं हुआ ! मैं जानना चाहता हूं कि अगर मुनाफा नहीं हुआ तो क्या नुक्सान हुआ और अगर नुकसान हुआ तो कितना हुआ ?

चौधरी बंसी लाल : मैं पहले सवाल के जवाब में बता चुका हूं कि कुल किलाकर 10 लाख, 25 हजार 914 रुपये का नुक्सान हुआ था जिसमें डैप्रिसिएशन भी शामिल हैं। जो फिग्र्ज

मैंने 16 लाख 44 हजार 862 रुपये 62 पैसे की बताई है इस में रिबेट और इन्ट्रैस्ट वगैरह शामिल करके नुक्सान हुआ हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : क्या मुख्य मंत्री साहब फरमाऐंगे कि यह ठीक है कि दिल्ली के नजदीक के गुड़गांव, रोहतक और सोनीपत के जो इलाके हैं उनका तकरीबन ज्यादा दूध, दिल्ली जाता हैं? दिल्ली दूध जाने से प्राईसिज बढ़ने की किल्लत पैदा हो गई हैं और हरियाणा में दूध की कमी हो गई हैं। क्या सरकार कोई ऐसा रास्ता निकालेगी जिसे दूध की तंगी न हो?

चौधरी बंसी लाल : लोगों को तकलीफ है और यह चीज सरकार के नोटिस में हैं। हम इस प्रौब्लम को सौल्व करने की कोशिश कर रहे हैं।

चौधरी दल सिंह : क्या मुख्य मंत्री जी बताएंगे कि जींद मिल्क प्लांट की रोजाना कैपेसिटी क्या है और उस कैपेसिटी के मुकाबले में कितना दूध सप्लाई होती हैं?

चौधरी बंसी लाल : इसकी कैपेसिटी 50 हजार लिटर है जबकि इस वक्त 20 हजार लिटर दूध मिलता हैं।

चौधरी दल सिंह : दूध के जराए सप्लाई क्या हैं? कौन–कौन से तरीके हैं जिनसे दूध सप्लाई होता हैं?

चौधरी बंसी लाल : पहले इंडिविजुवल आदमी भी दूध देते थे लेकिन अल्टीमेटली हमने कोआप्रेटिव सोसायटीज बनाई हैं। इन कोआप्रेटिव सोसायटीज के जरिए, लोगों को गायें, भैंसे खरीदने के लिए कर्जा देते हैं। लेकिन अभी तक इन कोआप्रेटिव सोसायटियों से ज्यादा प्रोक्योरमैंट होना शुरू नहीं हुआ हैं।

चौधरी दल सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर सहब के यह बात नोटिस में है कि जो कोआप्रेटिव सोसायटियां, सरकार ने बनाई थी उनमें से बहुत सी सोसायटियां पहले ही डिस्बैंड हो चुकी हैं? ये सोसायटियां पहले ही खत्म की गई : इसका क्या कारण हैं?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, अगर कोई सोसायअी काम शुरू करने से पहले ही खत्म हो गई है तो आनरेबल मैम्बर से में रिक्वैस्ट करूंगा कि वे मेरे नोटिस में लाएं। अगर आनरेबल मैंम्बर कोई अच्छा सुझाव दें तो ठीक होगा ताकि ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोक्योरमैंट हो सके। मैं उनके सुझाव को मानूंगा।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मुख्य मंत्री साहब बतायेंगे कि क्या जिला करनाल में भी कोई मिल्क प्लांट खोलने की स्कीम उनके विचाराधीन हैं?

चौधरी बंसी लाल : करनाल में आलरेडी मिल्क प्लांट हैं।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, दूध की सप्लाई, जरूरत से बहुत कम हैं। क्या चीफ मिनिस्टर साहब के यह चीफ नोटिस में हैं कि दूध की सप्लाई कम होने के लिए सरकारी कर्मचारी जिम्मेदार हैं क्योंकि कर्मचारी दूध की पेमैंट वक्त पर नहीं करते?

चौधरी बंसी लाल : मेरे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं आई! दूध की प्रोडक्शन इस वक्त कम है और प्रोडक्शन बढ़ाने का प्रबन्ध हमने करना हैं! प्रोडक्शन में कमी होने की जिम्मेदारी अधिकारियों कें जिम्मे नहीं डाली जा सकती क्योंकि मेरे नोटिस में इस किस्म की कोई शिकायत नहीं आई कि वे पेमैंट न करते हों।

श्री उमेद सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि जिन लोगों ने भैंसे खरीदने के लिए कर्जा लिया है उन्होने भैंसे खरीदने की बजाए किसी दूसरे परपज के लिए कर्जा इस्तेमाल किया हैं? क्या मुख्य मंत्री साहब के नोटिस में हैं?

चौधरी बंसी लाल : मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं हैं, लेकिन सोसायटियों में बाज औकात ऐसी बातें हो जाया करती हैं। जब ऐसी कोई चीज नोटिस में आती हैं तो सरकार मुनासिब कार्यवाही करती हैं। अगर आनरेबल मैम्बर के नोटिस में ऐसा कोई केस है तो मेरे नोटिस में लाएं, उन के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि करनाल में मिल्क प्लांट खोलने की कोई स्कीम हैं?

चौधरी बंसी लाल : मैंने पहले भी कहा हैं, वहां पर आलरेडी हैं और चल रहां हैं।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या वहां चिलिंग सैंटर खोलने की भी कोई स्कीम हैं ?

चौधरी बंसी लाल : करनाल में चिलिंग सैंटर खोलने की आवश्यकता नहीं। अगर आवश्यकता होगी तो कारपोरेशन एग्जामिन कर लेगी।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने बताया कि जींद मिल्क प्लांट की कैपेसिटी 50 हजार लिटर की हैं लेकिन सप्लाई कम होता हैं। क्या इसका कारण यह नहीं हैं कि दूध बेचने वाले जब बाजार में बेचते हैं तो उनको ज्यादा दाम मिलते हैं और मिल्क प्लांट से कम मिलते हैं ? क्या दूध कम मिलने का यह भी एक कारण हैं, अगर है तो क्या सरकार दूध के रेट बढ़ाने की कृपा करेगी ?

चौधरी बंसी लाल : हकीकत इसके उल्ट हैं। मिल्क प्लांट 10 या 15 परसैंट ज्यादा कीमत देता हैं बनिस्बत बाजार के।

चौधरी मेहर चन्द : स्पीकर साहब, भट्टूकलां और बडोपल जो कि मेरी कांस्टीच्युएंसी में हैं, में काफी दूध होता हैं। क्या मैं चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ सकता हूं कि इस इलाके में और फतेहाबाद के एरिये में मिल्क प्लांट लगाने की कोई स्कीम सरकार के अंडर कंसीड्रेशन हैं ?

चौधरी बंसी लाल : मेरे ख्याल में एक स्कीम ऐसी हैं !

श्री गौरी शंकर : स्पीकर साहब, डेयरी प्लांट के लिए गवर्नमैंट जो लोन देती हैं यह ठीक तरह से नहीं दिया गया। जींद जिले के लिए 32 लाख रुपया मंजूर हुआ था जो कि इन्होंने किसी दूसरी जगह 10–15 गांवों में बांट दिया हैं। महज उनको औबलाइज करने के लिए दिया गया हैं। मैं मुख्य मंत्री जी की सेवा में अर्ज करना चाहता हूं कि वह रुपया उसी जिले को दिया जाए जिसके लिए पहले रखा था ताकि दूध की कमैसिटी 20 हजार लिटर से बढ़ कर 50 हजार लिटर हो जाए।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर को गलतफहमी हो गई है कि कर्जा जींद जिले के लिए था और दूसरी जगहो में बांटा गया। मेरा इम्प्रैशन यह है कि ज्यादा कर्जा जींद डिस्ट्रिक्ट में ही दिया गया हैं और कुछ रेडियस माईल्ज की लिमिट बढ़ाकर, ज्यादा कर्जा दिया गया हैं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, अम्बाला जिले के लाडवा और पिपली के इलाके में काफी दूध होता है लेकिन वहां के लोगों को दूध की पूरी कीमत नहीं मिलती। सहारनपुर के मिल वाले उनसे कम कीमत पर दूध ले जाते हैं जिससे लोगों को बड़ा नुक्सान उठाना पड़ता हैं। क्या सरकार इस इलाके में कोई मिल्क प्लांट लगाने का विचार रखती हैं?

चौधरी बंसी लाल : अम्बाला में मिल्क प्लांट लगा रहें हैं जो कुछ ही महीनों में तैयार हो जाएगा और इससे इलाके के लोगों की तकलीफ कुदरती तौर पर दूर हो जाएगी।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, हिसार जिले में दूध की डेरी खुली हैं। क्या यह डेरी जींद की तरह ही नुक्सान में जा रही हैं या फायदे में चल रही हैं?

चौधरी बंसी लाल : इस सवाल का जवाब देने के लिए अलग नोटिस चाहिए।

श्री अमर सिंह : स्पीकर साहब, सरकार के नोटिस में यह बात हैं कि जींद का मिल्क प्लांट घाटे में चल रहां हैं। क्या सरकार उसकी रेडियस माईल–लिमिट को ऐक्सटैंड करने के लिए तैयार हैं ?

चौधरी बंसी लाल : जहां कहीं दूध मिलता हैं वहां से लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्टीमेटली हम पूरी स्टेट को कबर करना चाहते हैं। हमारी कोशिश यह हैं कि वे तमाम अच्छे तरीके इस्तेमाल करें जिनसे हमें ज्यादा दूध मिल सके।

चौधरी दल सिंह : क्या मुख्य मंत्री साहब बतायेंगे कि मिल्क प्लांट में घी, मक्खन वगैरह जो चीजें पैदा की जाती हैं उन को बेचने का प्रोसैस क्या हैं? क्या ये चीजें सीधे तौर पर बेचते हैं या किसी एजेंसी के द्वारा बेची जाती हैं?

चौधरी बंसी लाल : मेरे ख्याल में कोई एजेंसी नहीं हैं, सीधे ही बेचते हैं।

Mininmum Wage Committee for Rubber Industry

114. Shri Girish Chander Joshi : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether any minimum wages committee in the scheduled employment of Rubber Industry had even been constituted, if so, when?

(b) whether the said committee has revised the minimum rates of wages for the workmen in the Rubber Industry, if so whether it has been notified in the official Gazette; and

(c) if not, the reasons for not accepting the recommendations of the committee and for not notifying the same?

Chief Minister (Chaudhri Nansi Lal) :

(a)Yes, on 23rd March, 1971.

(b) Yes, but the recommendations have not been notified ;

(c) There has been, lot of opposition to the composition of committee and to its report and it has been decided to constitute a new committee.

10.00 प्रातः

श्री गिरिश चन्द्र जोशी : क्या मुख्य मंत्री साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अपोजीशन, कमेटी की कम्पोजीशन के बारे में आई वह रिकोमैन्डेशन देने से पहले आई या बाद में आई ?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, इस वक्त मेरे पास फुल पार्टिकुलर्ज नहीं हैं मगर बाद में ही आई होगी!

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : क्या मुख्यमंत्री जी फरमायेंगे कि आज मिनिमम वेज एक एम्पलाई का कितना है ?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह फिगर मेरे पास नहीं हैं।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर साहब का ध्यान रिप्लाई की तरफ दिलाना चाहता हूं । In part (c) of the reply it has been stated-

"it has been decided to constitute a new committee_

By what time could this committe be constituted ?

Chaudhri Bansi Lal : As early as possible. And most likely within a fortnight or so.

चौधरी राम लाल वधवा: स्पीकर साहब, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि पहले कोई कमेटी थी ओर उसकी अपोजीशन हुई। क्या मुंख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेगे कि वह अपोजीशन ऐम्पलायर्ज की तरफ से हुई या ऐम्पलाईज की तरफ से आई।

चौधरी बंसीलाल: ऐम्पलार्ज की तरफ से हुई।

चौधरी फूल चन्द (रोहट): स्पीकर साहब, मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूसरे स्टाफ के लोगों की तनख्वाह में जो बार–बार एनहांसमैंट हुई हैं क्या उसका असर इंडस्ट्रिल ऐम्पलायर्ज के वेजिज पर भी पड़ा हैं?

चौधरी बंसी लाल : सभी जगह पड़ता है! मजदूर तो अपनी तनख्वाह वक्तन–फवक्तन बढ़वाते ही रहते हैं।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : स्पीकर साहब, बड़ी इंडस्ट्रीज में जहां क्रोमियम, ऐसिड, निक्कल और ऐबनौविसयस गैसिज के प्लांटस हैं वहां तकरीबन 6 महीने या एक साल के अन्दर अन्दर मजदूर दमे, टी0 बी0 या दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाता हैं और मालिक उसको निकाल देता हें इस पर मजदूर अपना क्लेम करता है। मगर उसको उसके भी पूरे पैसे नहीं मिलते। यदि उसका क्लेम चार हजार या पांच हजार बनाता हो तो जबरदस्ती उसको तीन–सौ या चार–सौ रुपया दिलाने का फैसला करा देते हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। इस तरह के मजदूरों के बड़े केसिज चलते हैं।

श्री अध्यक्ष : आप सीधा प्रश्न करें।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) : तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन लोगों की हालत चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में है

और क्या यह महसूस करते हैं कि उसको सुधारने के लिए कुछ किया जाए।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह बात दुरुस्त हैं कि बाजोकात मजदूर को परेशान किया जाता है। मजदूर की किसी भी झगड़े को स्टैन्ड करने की कैपेसिटी कम है और अगर ट्रिब्यूनल से कहीं फैसला हो भी जाए तो जितना रुपया उस फैसले से मालिक को देना चाहिए वह रुपया देने की बजाय उसी के इंट्रैस्ट में वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक मुकद्दमा लड़ता है। इन हालात में लेबर को हार्डशिप होती है। मगर गवर्नमैंट की भरकस कोशिश होती है कि इस किस्म की चीफ पैदा न हो और ट्रिब्युनल में जाने से पहले ही किसी न किसी तरह से मसले को हल कर दिया जाए ताकि मजदूर को पूरा पैसा मिल सके।

चौधरी राम लाल वधवा : क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करैंगे कि यह जो कमेटीज बनाई जाती हैं उनमें ऐम्पलायर और ऐम्पलाईज के मैम्बरों को लेने का क्राईटेरिया क्या हैं ?

Chaudhri Bansi Lal : The discretion of the Government.

Encroachment of Public Street

38. Shri K. N. Gulati : Will the Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the Government has encroached on public street and blocked the road while

constructing police station and quarters at N.I.T., Faridabad in area No. 5, if so, the reasons therefore?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) : No reply can be given as the matter is sub-judice.

श्री के0 एन0 गुलाटी : क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि इस केस की सुनवाई कौन कर रहा है और पैरवी कौन कर रहा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

Procurement Officers in Milk Plant Bhiwani

***111. Chaudhri Dal Singh, :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of procurment officers recruited in the Milk Plant, Bhiwani; and

(b) whether the posts of procurement officers in the Milk Plant, Bhiwani were filled up by direct appointment without notifying them to the employment exchange or without advertising them in the newspapers?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal):

(a) One.

(b) Yes.

चौधरी दल सिंह : मेरे इस प्रश्न के उत्तर में मुख्य मंत्री जी ने फरमाया है कि भिवानी मिल्क प्लांट में एक प्रोक्योरमैंट

आफिसर रखा गया है जिस पोस्ट के लिए न कोई ऐडर्वआईजमैंट की गई और न ही एम्पलायमैंट ऐक्सचेंज से नाम लिया गया। क्या मुख्य मंत्री साहब बताएंगे कि यह रूल्ज की अवहेलना क्यों की गई?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, कारपोरेशन आटोनौमस बौडी है। भिवानी मिल्क प्लांट की कंस्ट्रक्शन का काम तेजी से चल रहा है और मेरे ख्याल में हफत्ते दस दिन में वह पूरा हो जाएगा। इस ऐक्सपर्ट की उनको जरूरत थी, इसलिए उन्होंने रख लिया। 9 पोस्टस के लिए एक बार नहीं बल्कि डिफरैन्ट टाईम्ज पर डेरी डिवैल्पमैंट कारपोरेशन ने ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज से नाम मांगे, परन्तु नाम उन्हें मिले नहीं और हर बार यही लिख कर आया कि हमारे पास ऐसी क्वालिफिकेशन्ज के कोई आदमी अवेलेबल नहीं।

The qualification and experience prescribed for this post are : B.Sc. (Dairy Husbandry) with at least three years experience of procurement, quality control and extension work.

Now, one Mr. U. P. Sethi, has been appointed. He has more than four years of such experience. His qualifications and experience are given below:-

(i) Qualifications:	B.Sc. (D.H.) in 1st Division in 1967. Holder of merit scholarship of

	Government of India.
(ii) Experience:	(a) Served as Technical Assistant, Milk Procurement Incharge at Milk Project, Chandigarh from June, 1967 to July, 1968. (b) Promotd as Senior Technical Assistant Procurement at Milk Project, Chandigarh from August, 1968 to October, 1969. (c) Worked as Senior Technaical Assistant (Headquarters) with Managing Director, Punjab Dairy Development Corporation from October, 1969 to January, 1970. (d) Worked as Senior Technical Assistant (Quality Control) Lab. Incharge at Milk Project, Chandigarh, from February, 1970 to July, 1971. (e) Posted as Incharge, Sales Division from July, 1971 till 4th November, 1971 in the Punjab Dairy Development Corporation Ltd. when he resigned from joining service under this Corporation.

Shri Sethi was offered the post at Rs. 490 in the scale of Rs. 400-1100 and he was getting Rs. 400 under his previous employer, i.e. the Punjab Dairy Development Corporation.

Keeping in view the experience of the officer and non-avaiability of such an officer in the market, the Dairy Development Corporation appointed him. He was selected by a sub-committee of the Board of Directors consisting of Shri G. Gopinath, Joint Commissioner (Dairy Development), Government of Inida, Shri L. Isa Dass Managing Director, Haryana Dairy Development Corporation-cum-Milk commissioner, Haryna and Capt. R.S. Dyal, Director of Animal Husbandry, Haryana.

I don't think there is any irregualrity or any wrong thing done in this appointment.

चौधरी दल सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि इस मिल्क प्लांट के अन्दर कुछ और भी कर्मचारी हैं जिनकी पोस्ट्स ऐडवर्आईज नहीं हुई और न ही ऐम्पलायमैंट ऐक्सचेंज से नाम मंगवाए गए ?

चौधरी बंसी लाल : इसके लिए आनरेबल मैम्बर सैपरेट नोटिस दें। मुझे पता नहीं है कि वहां स्टाफिंग पैटर्न क्या है। आपने पर्टिकुलर पोस्ट के लिए पूछा था वह मैंने बता दिया है।

चौधरी दल सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जींद मिल्क प्लांट और दूसरे मिल्क

प्लांट्स में जो दूसरे आफिसर्ज लगवाए गए थे उनकी तनख्वाह क्या थी और इनकी तनख्वाह क्या है ?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, जींद प्लांट की इंफर्मेशन इस वक्त मेरे पास नहीं है।

Welfare Centres in the State

115. Shri Girish Chander Joshi : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to reorganise the Labour Welfare Centres in the State on the Pattern of U.P. and Maharashtra States ; and

(b) if so, the time by which the Government proposes to start A and B type Centres in the industrial towns in the State ?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) :

(a) Yes.

(b) 'A' Class Centres will be started in the 5th Five Year Plan and 'B' Class Centres as and when funds are available.

श्री गिरिश चन्द्र जोशी : क्या चीु मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि हरियाणा में वेलफेयर सैन्टर्ज कहां–कहां पर हैं ?

चौधरी बंसी लाल : सात जगहों पर हैं, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार, भिवानी, अम्बाला, यमुनानगर और जगाधरी।

श्री गिरिश चन्द्र जोशी : क्या चीु मिनिस्टर साहब यह बताने का कष्अ करेंगे कि इन वैल्फेयर सैन्टर्ज में क्या–क्या ऐमैनिटीज और फैसिलिअीज दी जाती हैं?

Chaudhri Bansi Lal : In these centres we impart training in sewing knitting, music etc.

Pandit Chirani Lal Sharma : May I ask the Honourable Chief Minister as to what is the pattern of such centres in U.P. and Maharashtra?

Chaudhri Bansi Lal : Some more amenities are given there, in U. P. and Maharashtra. When we adopt that pattern then these centres will provide modern amenities of education to the children of the workers in the pre-primary stage, knitting and sewing classes for their women-folk, Library, sports and in-door and out-door games as well as cultural programmes of, dances, songs etc. These will also provide medical facilities in Ayurvedic or Unani to such workers and their families who are not covered under the E.S.I. scheme. A mid-wife will also give ante-natal and pre-natal care to the worker's families. According to U.P. and Maharashtra pattern, the 'A' class centres will be established as I have already stated.

चौधरी फूल चन्द : क्या चीफ मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि जो तजवीज आपके जेरे गौर है वह कब तक लागू हो जाएगी?

चौधरी बंसी लाल : यह मैंने पहले ही बता दिया हैं।

श्री अध्यक्ष : इसका जवाब तो पहले ही आ गया था।

Over Bridge on Railway Crossing, Faridabad

36. Shri K.N. Gulati : Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the steps, if any, taken to provide an over-bridge on one of the Railway crossings to Faridabad Township; and

(b) if so, the target date for the completion of the said bridge?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) :

(a) The matter is under active consideration of the Government.

(b) No target date can be given at this stage.

श्री के0 एन0 गुलाटी : क्या मुख्य मंत्री साहब यह बताने का कष्ट करैंगे कि किस जगह पर ओवर ब्रिज बनाने की स्कीम है?

चौधरी बंसी लाल : फरीदाबाद टाऊन में दो लोकेशन्ज ऐसी हैं जिन पर पुल बनाना जरूरी है। जब तक दोनों जगहों पर ओवर ब्रिज नहीं बनेगा तब तक काम नहीं चलेगा। हमारा इरादा है कि दोनों जगहों पर बनें। परन्तु रेलवे मिनिस्टरी ने अभी तक एग्री नहीं किया । रेलवे मिनिस्टरी के साथ खतो–किताबत चल रही है।

चौधरी फूल चन्द (रोहट) जहां–जहां भी इस तरह के रेलवे क्रोसिंग्ज हैं वहीं–वहीं पर दिक्कत आ रही हैं इसी तरह से सोनीपत में भी आधा घन्टे तक ट्रैफिक जाम रहता है। क्या सोनीपत में भी, रेलवे क्रोसिंग पर पुल बनाने की तरफ सरकार ध्यान देगी ?

चौधरी बंसी लाल : सोनीपत में ओवर ब्रिज बनाने के लिए बहुत लम्बे अर्से से खतो–किताबत कर रहे हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharama : May I ask the Honourable Chief Minister as to what progress the Government have made regarding this correspondence, because this question about Sonepat has been hanging fire since long?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, हम तो यही कर सकते हैं कि हम अपने हिस्से का पैसा दे दें और लोकल बौडी से कहें कि वे अपने हिस्से का पैसा दे दे। लेकिन रेलवे मिनिस्टरी ने भी इजाजत देनी होती है। वे एग्जामिन करने में काफी लम्बा अर्सा लगा देते हैं। हम अपनी तरफ से तैयार हैं।

श्री गिरिश चन्द्र जोशी : यमुनानगर के रेलवे क्रोसिंग पर पुल बनाने का सिलसिला काफी अर्से से चल रहा है और दूसरे–कलानौर का भी अन्डर–कन्सीड्रेशन है। क्या मुख्यमंत्री साहब यह बताएंगे कि ये कब तक बनने शुरू हो जायेंगे ?

चौधरी बंसी लाल : यमुनानगर के बारे में काफी तेजी के साथ लिखा–पढ़ी की जा रही है परन्तु कलानौर के बारे में मुझे पता नहीं, यह कहां पर हैं ?

श्री गिरिश चन्द्र जोशी : कलानौर, सहारनपुर रोड पर आता है। वह हरियाणा में ही है। जगाधरी से जो रोड़ साबेपुर को जाती है उस पर आता है।

चौधरी दल सिंह : जाहिर है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। फिर यह पुल किस तरह से बनायेगी?

चौधरी बंसी लाल : यह चौधरी दल सिंह को ही जाहिर हो गया कि हमारे पास पैसा नहीं है, परन्तु हमने तो कभी महसूस नहीं किया कि हमारे पास पैसा नहीं हैं।

Pandit Chiranji Lal Sharam : May I ask the Honourable Chief Minister that in case this scheme of over-bridge for Sonepat does not materialise, will the consider the desirability of making a provision for an under-bridge ?

चौधरी बंसी लाल : दोनों में एक ही बात है। दोनों की रेलवे मिनिस्टरी ने मंजूरी देनी हैं। An over bridge is always better than the under bridge.

कर्नल महा सिंह : क्या चीफ मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि रिवाड़ी में पुल बनाने के लिए रेलवे मिनिस्टरी की, हरियाणा गवर्नमैंट को जो चिट्ठी आई है कि क्या वह पुल

बनाने के लिए तैयार है। उस चिट्ठी को मैंने भी देखा है। इस बारे में अगर रेलवे मिनिस्टरी तयार है तो हरियाणा गवर्नमैंट भी अपने बजट में प्रोविजन करने के लिए तैयार है ? उस चिट्ठी में लिखा है कि हरियाणा गवर्नमैंट यह बताये कि वह अपने किस साल के बजट में इसके लिये प्रोविजन रखेगी ताकि हम भी उसी साल के बजट में इसका प्रोविजन रख दें।

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, लेटैस्ट पोजीशन के बारे में तो मैं नहीं कह सकता कि क्या है, क्योंकि पर्टीकुलर केस मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं हाउस को यह बता देना चाहता हूं कि रिवाड़ी में दो रास्ते हैं। दोनों रास्तों पर औवर ब्रिज बनाया जस सकता है। हम यह चाहते हैं कि ओवर ब्रिज से दोनों ही रास्ते कवर हो जायें। गवर्नमैंट आफ इंडिया से खतो–किताबत जारी है। इस सारे केस को हमने गवर्तमैंट आफ इंडिया के साथ टेक–अप किया हुआ है।

श्रीमती लेखवती जैन : स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से यह निवेदन करूंगी कि अम्बाला में भी ओवर ब्रिज की जरूरत है। वहां एक तरफ तो दुकानें और फाटक हैं परन्तु दूसरी तरफ आवेर ब्रिज बन सकता है। जब आप और जगहों के लिए लिखा–पढ़ी कर रहे हैं तो अम्बाला के लिए भी करें क्योंकि वहां पर बहुत बड़ी कचहरी है और लोगों को काफी दिक्कत पेश आती हैं !

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, मैं भी मानता हूं कि अम्बाला के अन्दर ओवर ब्रिज की जरूरत है। जैसा कि अभी डिप्टी स्पीकर साहिबा ने कहा कि एक तरफ तो दुकानें हैं, इसीलिये बनना मुश्किल है परन्तु दूसरी ओर बन सकता है। मैं उनके नोटिस में यह ला दूं कि दूसरी तरफ भी तीन–चार कोठियां हैं और कब्र है, वहां पर कैसे बन सकता है ?

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, जब सब जगहो पर पुलों का प्रबन्ध किया जा रहा है तो हिसार में भी किया जाना चाहिए।

चौधरी बंसी लाल : बाकी लोगों ने जब इतना सब्र किया हुआ है तो क्या आप थोड़ा सा सब्र नहीं कर सकते ?

श्री ओम प्रकाश गर्ग : क्या मुख्य मंत्री साहब कुरूक्षेत्र में भी ओवर ब्रिज बनाने पर विचार करेंगे ?

चौधरी बंसी लाल : कुरूक्षेत्र में जरूर बनेगा !

श्रीमती लेखवती जैन : अभी सी0 एम0 साहब ने फरमाया है कि एक तरफ तो कोठियां हैं और कब्र है, इसलिए वहां कैसे बनेगा ? अगर हम वहां की जनता से कंसल्ट करके और उनको रजामन्द करके कोई सुझाव दें तो क्या चीफ मिनिस्टर साहब उस पर गौर करेंगे ?

चौधरी बंसी लाल : वहां की सारी जनता कहे तो भी कब्र नहीं तोड़ सकते हैं। सौ दुकानें तोड़ी जा सकती हैं परन्तु कोई कब्र नहीं तोड़ी जा सकती। हां, हम कोई वाया–मीडिया निकालने की कोशिश करेंगे।

श्रीमती लेखवती जैन : हम यही चाहते हैं कि कोई वाया–मीडिया निकाला जाये।

चौधरी श्याम लाल : क्या पलवल में भी कोई ऐसा पुल बनाने की स्कीम है ? वहां पर पहले ही डबल–लाईन गुजरती है और अब तीसरी लाईन भी डाली जा रही है, वहां के बारे में सी0 एम0 साहब का परसनल एक्सपीरियंस भी होगा, इसलिए मेरा निवेदन है कि क्या वहां के लिए भी कोई योजना है ?

चौधरी बंसी लाल : स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि मुझे पलवल के फाटक पर खड़ा रहना पड़ा है लेकिन जहां तक मुझे याद है हमने पलवल के लिए गवर्नमैंट आफ इंडिया के साथ केस टेक–अप नहीं किया है। वहां के लिए भी टेक–अप कर लेंगे।

महन्त श्रेयोनाथ योगी : मुख्य मंत्री जी, और सब जगहों के लिए मान गये हैं परन्तु वे रोहतक को क्यों भूल गये हैं? वहां पर लोग काठमंडी से घूम कर जाते हैं, इसलिये लोगों को काफी तकलीफ होती है।

चौधरी बंसी लाल : काठमंडी में टक्कर मारने की क्या जरूरत है? दूसरे रास्ते से चले जावें।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : स्पीकर साहब, यह प्रश्न मैं डिप्टी मिनिस्टर शारदा रानी जी की तरफ से पूछ रहा हूं। क्या बल्लभगढ़ में भी कोई ओवर–ब्रिज बनाने का प्रोविजन है (हंसी)।

Amount Given to Harijans from the Welfare Fund

112. Chaudhri Dal Singh : Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) The total amount given to Harijans from the Harijan Welfare Fund in the State during the year 1969-70 and 1970-71.

(b) The total number of applicants who applied for loans from the Harijan Welare Fund in year 1969-70 and 1970-71, separately.

(c) The district-wise total amount given to Harijans during the year 1969-70 and 1970-71 ?

Development Minister (Shri Shyam Chand):

	Rs.
(a) (i) Loan given to Harijans in the year 1969-70	12,44,900.00
(ii) Loan given to Harijans in the year 1970-71	23,74,240.00
Total	36,19,140.00

(b) Year	Applications received
(i) 1969-70	21975
(ii) 1970-71	12480
Total	34455

(c)	Amount paid in the year 1969-70	Amount paid in the year 1970-71
	Rs.	Rs.
Ambala	188050.00	338270.00
Gurgaon	167050.00	330070.00
Jind	73250.00	142480.00
Hissar	256400.00	506950.00
Karnal	239200.00	467550.00
Narnaul	83600.00	148480.00
Rohtak	237350.00	440440.00
Total	1244900.00	2374240.00

श्रीमती चन्द्रावती : क्या विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि हरिजनों को कर्जा देने का क्या क्राइटेरिया है ?

श्री श्याम चन्द : किस किस्म का लोन ?

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री श्याम चन्द्र : मैं यह समझा नहीं कि किस किस्म के लोन के बारे में वे पूछना चाहती हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : मैं हर किस्म के लोन के बारे में पूछना चाहती हूं।

Shri Shyam Chand : We receive applications for giving loans to Harijans. There are ad-hoc committees at the distric level. They recommed the names and then we pay the loans to Harijans.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे प्रश्न के उत्तर में मिनिस्टर साहब ने फरमाया है कि साल 1969–70 में 12 लाख 14,900 रुपया कर्ज दिया गया। इसी तरह से 1970–71 वर्ष के अन्दर 23 लाख 74,240 रुपया कर्ज दिया गया हरिजन वैल्फेयर फन्ड के तहत। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि 1969–70 और 1970–71 में बजट में इस बारे में कितने रुपये का प्रोविजन किया गया था?

Shri Shyam Chand : For 1969-70 we had 38 lakhs 60 thousand and for 1970-71 we had 50 lakhs.

Pandit Chiranji Lal Sharma : May I ask the Honourable Development Minister to let us know as to what

are the kinds of loans that are advanced to Harijans and who constitute that committee that recommends such loans to the State Government ?

Shri Shyam Chand : The Welfare Fund loans age given to Harijans for 64 trades. If the Honourable Member wants me to read out the list of trades, I can read that out.

श्री अध्यक्ष : चौधरी दल सिंह का कहना है कि यह जो आप 38.60 लाख रुपय का प्रोविजन बताते हैं, इसमें से सिर्फ 12 लाख रुपया लोन के तौर पर दिया गया, बाकी रुपया क्यों नहीं दिया गया? वे यह पूछना चाहते हैं।

Shri Shyam Chand : I am telling the Honourable Member through you that out of 38 lakhs, we have given 12 lakhs as loan to Harijans and the rest of the amount has been given as scholarship to Harijan boys.

चौधरी रिजक राम : मिनिस्टर साहब ने यह बताया है कि 38.60 लाख रुपये, कर्ज के लिये बजट में रखे गये थे, मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या स्टाइपन्ड की रकम इससे अलग थी ? अगर अलग थी तो स्टाइफन्ड के लिये कितनी थी और लोन के लिये कितनी थी ?

Shri Shyam Chand : The total amount was 38 lakhs. Out of that, only provision of 4 lakhs was for loans.

चौधरी रिजक राम : स्टाइफन्ड के लिये बजट में कितनी रकम रखी गयी थी, इतनी बात मिनिस्टर साहब और बता दें ?

Shri Shyam Chand : The rest was for stipends.

चौधरी चांद राम : क्या यह हकीकत है कि हरिजन वैल्फेयर आफिसर्ज की तरफ से यानी एडहाक कमेटीज की तरह से कुछ सिफारशें स्टेट हैडक्वार्टर पर 13 मार्च तक पहुंच चुकी थीं, लेकिन उन स्कीमों को मन्जूरी नहीं दी गयी और रुपया लैप्स हो गया ? अगर यह ठीक है तो उन स्कीमों को मन्जूरी क्यों नहीं दी गयी ?

Shri Shyam Chand : Sir, the supplementary is not covered by this question. If the Honourable Member wants this information, he should give a separate notice.

श्री अमर सिंह : क्या आनरेबल मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे, जैसे उन्होंने फरमाय है कि 196970 में 12 लाख 14,900 रुपये की रकम हरिजन वैल्फेयर फण्ड के लिये दी गयी थी जबकि हमारे यहां हरिजनों की आबादी साढ़े सतरह लाख की है, तो इतनी कम रकम क्यों दी गयी ? बाकी की रकम भी उन्हें क्यों नहीं दी गयी तथा बजट में इतनी कम रकम क्यों रखी गयी ?

Shri Shyam Chand : This was the only provision in this Budget and according to the population of each district, funds have been given.

श्री रामकिशन आजाद : क्या मिनिस्टर साहब यह बतायगे कि जो लोन दिया गया है, यह किस–किस हरिजन को और कितना–कितना दिया गया है ? क्या इस बारे में आपके पास कोई तफसील हैं ?

श्री श्याम चन्द : मैं कम्युनिटी–वाईज तो नहीं दे सकता, मगर डिस्ट्रिक्ट–वाईज दे सकता हूं।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, एक सवाल के जवाब में मिनिस्टर साहब ने अभी यह फरमाया है कि सैपरेट नोटिस के बगैर उसका जवाब नहीं बताया जा सकता कि एडहाक–कमेटी की जो रिकमैडेशन्ज आयीं, उनको मन्जूरी क्यों नहीं दी गयी और रकम लैप्स हुई है या नहीं हुई है। यह सप्लीमेंट्री उस क्वैश्चन से क्लीयरली अराईज होता है जो हाउस के सामने है। उन्होंने खुद यह फरमाया है कि एडहाक कमेटी की रिकमैंडेशन्ज पर लोन मन्जूर करते हैं। एडहाक कमेटी की रिकमैंडेशन्ज के बाबजूद कितनी रकम लैप्स हुई, इसका जवाब उनको देना चाहिए।

Shri Shyam Chand : Sir, I have told the Honourable Member already that this supplementary does not arise at all from this question. No question has been asked in respect of 1971-72.

श्री अध्यक्ष : चौधरी रिजक राम जी, आपका प्रश्न क्या था, जरा दोहरा दीजिये।

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, गुजारिश यह है कि एडहाक कमेटी की रिकमैंडेशन्ज पर गवर्नमैंट लोन देती है, ऐसा मिनिस्टर साहब ने बताया है। चौधरी चांद राम ने अभी फरमाया कि एडहाक कमेटी की कोई रिकमैंडेशन्ज 12/13 मार्च को गवर्नमैंट के पास पहुंची लेकिन सरकार ने उन रिकमैंडेशन्ज पर रकम नहीं दी और रुपया लैप्स हो गया। इसके जवाब में मिनिस्टर महोदय ने कहा कि सैपेरेट नोटिस चाहिए। जब आपके पास एडहाक कमेटी की तरफ से रिकमैंडेशन्ज आयीं और आपने पैसा नहीं दिया तो आप या तो यह कहें कि मद में पैसा नहीं था या फिर यह कहें कि हमारे पास रिकमैंडेशन्ज नहीं आयीं। मैंने इस बारे में मिनिस्टर साहब से क्लैरिफिकेशन मांगी थी ?

Shri Shyam Chand : Sir, this question pertains to the laon for the year 1971-72 and no such question has been asked by the Honourable Member, Chaudhri Dal Singh.

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1970–71 में हरिजन वैल्फेयर फन्ड के लिये बजट में कितना प्रोविजन किया गया था ?

श्री श्याम चन्द : 50 लाख रुपये।

चौधरी दल सिंह : स्पीकर साहब, मैंने जब यह पूछा कि बजट में कर्जे का प्रोविजन क्या था तो उन्होंने कहा है कि 50 लाख रुपया। इन्होंने कर्जा दिया हैं सिर्फ 23 लाख, 74,240 रुपया। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि बाकी की रकम जो लैप्स हुई है, यह किस की गलती की वहह से हुई है ?

Shri Shyam Chand : Sir, there is no lapse. Actually this is not the only loan. There are other laons for Harijan boys for the purchase of stationery, books etc., and their scholarships also. There was no lapse at all for the year 1969-70 or 1970-71.

चौधरी रिजक राम : स्पीकर साहब, वजीर साहब ने कुछ दूसरे लोन बतायें हैं जैसे किताबों के लिये या स्टाइपन्ड वगैराह के लिये। उन्हें सारे लोन इनक्लूड करके बताना चाहिये था। लोन के बारे में तो यह कहते हैं कि 50 लाख रुपया में से 23 लाख रुपये हरिजनों को दिये गये हैं। फिर यह भी कहते हैं कि किताबों के लिये भी दिये हैं और स्टाईपन्डज भी दिए गए हैं। यह कोई ठीक जवाब नहीं हैं, कम्पलीट जवाब आना चाहिये। हरेक सवाल के जवाब में उन्हें सही बातें बतानी चाहियें।

Shri Shyam Chand : Scholarships are not covered by loan, Sir.

चौधरी रिजक राम : अगर वह लोन में शामिल नहीं है तो भी मिनिस्टर साहब बतायें ?

श्री अध्यक्ष : चौधरी श्याम चन्द जी, आपको यह बात साफ कर देनी चाहिये कि जितना प्रोविजन था यह सिर्फ लोन के लिये था या इसमें स्टाइपन्ड भी शामिल था। आप यह बता दें कि स्टाइपन्ड के लिये कितना पैसा था और लोन के लिये कितना था।

श्री श्याम चन्द : सर, स्आइपन्ड के लिये अलग है और लोन के लिये अलग है।

श्री अध्यक्ष : आप लोन के लिये कितना बजट प्रोविजन बतलाते हैं?

श्री श्याम चन्द : 50 लाख।

श्री अध्यक्ष : उनका सप्लीमैंट्री यह है कि जब बजट में 50 लाख रुपये का प्रोविजन था और दिया गया सिर्फ 23 लाख रुपया तो बाकी रुपया लैप्स हो गया, यह क्यों हुआ?

श्री श्याम चन्द : बाकी रुपया लैप्स बिल्कुल नहीं हुआ। बाकी में से स्कालरशिप वगैरह दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : फिर आप यह बतायें कि स्कालरशिप के लिये कितना प्रोविजन था ?

Shri Shyam Chand : If the Honourable Member gives a separate notice for the amount of scholarship, I will give that information.

श्री अध्यक्ष : श्याम चन्द जी, ऐसी बात नहीं हैं। (व्यवधान) (इस समय कुछ सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिये खड़े हुए) आप कृपया बैठ जाइये। मैं आपके लिये ही तो इनसे पूछ रहा हूं। श्याम चन्द जी! इन्होंने आपसे प्रश्न पूछा कि कर्जे के लिये कितना प्रोविजन था ? आपने फरमाया कि 50 लाख रुपया। फिर इन्होंने कहा कि जब केवल 23 लाख रुपये का लोन एडवान्स हुआ तो बाकी रुपये कहां गये? इसके जवाब में आप कहते हैं कि स्टाइपन्ड वगैरह में दे दिए। अब यह जानना चाहते हैं कि 50 लाख रुपये सिर्फ लोन के लिये रखे गये थे या स्टाइपन्ड वगैरह सब मिला कर रखे गये थे ? या तो आप यह कहें कि सब मिला कर थे .....

Shri Shyam Chand : I have already told the House that only provision of 50 lakhs was made for this.....

Mr. Speaker : ..... including stipends ?

Shri Shyam Chand : Yes, Sir.

चौधरी चांद राम : क्या वजीर साहब बतायेंगे कि हरिजन वैल्फेयर फन्ड के मातहत कौन–कौन सी मद है जिसके तहत रुपया रखा गया है ? इसमें से कौन सी स्कीम स्टेट–सैक्टर की है और कौन सी सैंट्रल सैक्टर की स्कीम है ? स्पीकर साहब, यह कहते हैं कि हमने इतना रुपया दिया है। शायद आपको मालूम है कि कुछ तो सबसिडी होती है, कुछ ग्रान्ट होती है और कुछ

स्टाइपन्ड होता है! और यह लोन नहीं हो सकता। यह जो स्कीम है, यह कौन सी है, स्टेट सैक्टर की है या सैंट्रल सैक्टर की है ?

Shri Shyam Chand : Sir, the question is with reference to loans given to Harijans and not subsidies and grants.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, आपको तो बहुत पुराना तजरूबा है सबसिडी ओर ग्रान्ट अलग–अलग चीजें होती हैं। हाउस बनाने के लिये साढ़े सात सौ रुपये की सबसिडी दी जाती है। गवर्नमैंट के पब्लिक रिलेशन्ज डिपार्टमैंट की तरफ से भी यह न्यूज पेपर्ज में निकली हुई है। क्या पब्लिक रिलेशन्ज डिपार्टमैंट की बात ठीक है या इनकी बात ठीक है?

श्री अध्यक्ष : प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, यह सवाल कल चलना चाहिए (व्यवधान)।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) : ऐसी चीज तो पहले स्पीकर के वक्त में चलती थी ! अब वह रूलिंग नहीं रही। No question is now carried over.

नियम 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गये तारांकित प्रश्न का लिखित उत्तर

Cheap Houses for Industrial Workers

116. Shri Girish Chander Joshi : Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to provide cheap houses to industrial workers in the State, if so, the number of houses desired to be constructed;

(b) whether the Government has got any amount under the Fourth Five Year Plan for subsidised industrial housing scheme; if so, the total amount spent on such scheme; and

(c) the names of the industrial town/places where the houses have been constructed or porposed to be constructed together with the number of workers actually benefited by such scheme?

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal) :

(a) Yes. Six hundred and two houses.

(b) Yes. Total amount spend so far is Rs. 10.11 lakhs.

(c)(i) Places where houses have been constructed.

Sr. No.	State Sector	Sr. No.	Private Sector
1	Jagadhri	1	Bhiwani
2	Yamunanagar	2	Yamunanagar
3	Ambala	3	Sonepat

4	Panipat	4	Faridabad
5	Sonepat	5	Ganaur
6	Rohtak		
7	Bhiwani		
8	Hissar		

(ii) Places where the houses are proposed to be constructed.

1	Bhiwani
2	Faridabad
3	Gurgaon
4	Ganaur (District Rohtak)

(iii) 1643 Workers have been benefited.

ध्यानाकर्षण सूचना

श्री अध्यक्ष : चौधरी शिव राम वर्मा ने हरियाणा में अनावृष्टि में अनावृष्टि के कारण सूखे की भयंकर स्थिति के बारे में ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 23 दी है, जो मैंने स्वीकार कर ली है। माननीय सदस्य अपनी सूचना पढ़ दें।

चौधरी शिव राम वर्मा : मैं इस प्रस्ताव द्वारा इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान हरियाणा में सूखे की भयंकर स्थिति की और दिलाना चाहता हूं।

हरियाण में अनावृष्टि के कारण सूखे की स्थिति भयंकर रूप धारण कर चुकी है। खरीफ की फसल सुख जाने से, जहां किसानों को करोड़ों की हानि पहुंची है, वहां अन्न उत्पादन में कमी होने से अकाल की काली छाया सिर पर मंडरा रही है। भारतवर्ष में करनाल का जिला चावल का भंडार माना जाता है किन्तु सूखे के कारण और बिजली के अभाव के कारण इस बार चावल के उत्पादन को गहरा धक्का लगा है। इस संकट पूर्ण स्थिति में सरकार की ओर से भी अभी तक कोई सन्तोषजनक कदम नहीं उठाया गया। सरकार की इस घोषणा के बावजूद कि खेती के लिए बिजली में कटौती नहीं की जाएगी, फिर भी 50 प्रतिशत तो स्पष्ट कटौती करने के अतिरिक्त और 5–6 घंटे ट्रिपिंग के कारण, बिजली केवल 6 घंटे किसान को प्राप्त होती है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार तुरन्त इस मामले में आपतकालीन उपाय करे ताकि देश अकाल की विभीषिका से बच सके। केन्द्रीय अन्न मंत्री ने लोक सभी में घोषणा की थी कि सरकार युद्ध स्तर पर सूखा तथा अकाल की स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी पग उठाएगी। परन्तु अभी तक हरियाणा में ऐसा कोई पग नहीं उठाया गया। मेरा सुझाव है कि अन्नोत्पादक वस्तुओं के लिए बिजली की सप्लाई तब तक बन्द कर दी जावे

जब तक खेती की पूरी बिजली नहीं मिलती। सरकार ने केन्द्र से इन्जनों द्वारा खेती को पानी देने के लिए क्या मांग की है, उसकी सूचना सदन को दी जाय। बिजली की कमी को पूरा करने के लिए सरकार अपने जनरेटर लगाए और इंजनों की खरीद के लिए किसानों को आर्थिक सहायता दे। साथ ही जिन किसानों की खेती बिल्कुल नष्ट हो गई है उन्हें राहत के लिए तकावियां दी जायें। हरी क्रांति में अग्रणी भाग लेने वाला हरियाणा, एक तो भूमि–सीमा की चर्चा से अन्नोत्पादन में पिछड़ जायेगा, दूसरे सूखे के दैवी प्रकोप तथा सरकार की बिजली सप्लाई की अकर्मन्यता से न केवल अपना अग्रणी स्थान खो बैठेगा बल्कि किसान के लिए अपना पेट पालन करना भी कठिन हो जायेगा। अकेले भाखड़ा बांध पर बिजली के लिए निर्भर रह कर आज खेती तथा उद्‌भोग को कितना नुक्सान हो रहा है, इस विषय में भी सरकार को पुनर्विचार करके नई नीति निर्धारित करनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : कृषि मंत्री अब अपना वक्तव्य दें गे।

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल) : कुछ समय पहले राज्य में सूखे की समस्या ने भयानक रूप धारण कर लिया था। वैसे तो प्रांत का कोई भाग सूखे के कुप्रभाव से नहीं बचा था, पर महेन्द्रगढ़, हिसार, गुड़गांव व रोहतक के राजस्थान के निकटवर्ती लगभग 28 ब्लाकों में सूखे के कारण अकाल के आसार होने लगे थे। सौभाग्य से गत सप्ताह कुछ भागों को छोड़ कर लगभग सारे राज्य में अच्छी वर्षा हुई है, जिससे संकटपूर्ण स्थिति टल गई हैं।

2. यह अनुमान लगाया गया हैं कि वर्षा न होने के कारण राज्य में निम्नलिखित फसलों को इस प्रकार नुकसान हुआ है :–

बाजरा	63 प्रतिशत
चावल	48 प्रतिशत
ज्वार	57 प्रतिशत
मक्की	35 प्रतिशत

3. गत सप्ताह की वर्षा से फसलों पर सुखद प्रभाव पड़ा है। अनुमान लगाया गया है कि वर्षा के कारण अन्न उत्पादन में 10 से 20 प्रतिशत तक की कमी पूरी हो जाएगी। बहुत सा रकबा जो वर्षा के अभाव के कारण चावल या बाजरा या ज्वार की बीजाई के नीचे नहीं आ सका, वह नुकसान, किसी तरह से पूरा नहीं हो सकता। जहां गत वर्ष खरीफ के दौरान 13.5 लाख का अन अन्न उत्पादन प्रदेश में हुआ था वहां इस वर्ष खरीफ के दौरान केवल 8 लाख टन अनाज उत्पन्न होने की आशा की जा सकती है।

4. राज्य सरकार ने भारत सरकार को इस सारी स्थिति से अवगत कराया व इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए कुछ ठोस प्रस्ताव रखे। उनमें प्रमुख यह थे :–

(1) Augmentation Canal Project को शीघ्रतिशीघ्र सम्पन्न करना। जिससे 1000 cusecs पानी किसानों को मुहैया हो । इसके लिए पांच करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है।

(2) बिजली बोर्ड द्वारा बचे हुए नलकूपों को तत्काल connections दिए जाना ! इसके लिए पांच करोड़ रुपय का कर्जा मांगा गया है।

(3) Minor Irrigation, व Tubewell corporation द्वारा 400 नए deep नलकूल खोदे जाना इसके लिए 3 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है।

(4) बिजली बोर्ड द्वारा तत्काल 200 megawats के लिए Diesel Generating Set व Gas Turbine लगाने की तजवीज। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है।

(5) जवाहर लाल नेहरू Lift Irrigation Project का आरम्भ किया जाना। इस प्रोजैक्ट के द्वारा रोहतक, महेन्द्रगढ़ व गुड़गांव के सूखाग्रस्त इलाकों को पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए 30 करोड़ रुपए की सहायता मांगी गई है।

(6) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में तत्काल रोजगार की सूविधा जुटाने के लिए सड़के बनाने का कार्यक्रम। इसके लिए 7 करोड़ रुपए की सहायता मांगी है।

(7) Lift Irrigation के क्षेत्रों में तथा भाखड़ा नहर के क्षेत्र में पानी की खालों को पक्का करने का कार्यक्रम। इसके अन्तर्गत लगभग 12 करोड़ रुपए के अनुदान की मांग की गई है।

(8) किसानों को कम कीमत पर Diesel Engines दिए जाने का कार्यक्रम। इसके लिए 8 करोड़ रुपए की व्सवस्था के लिए मांग की गई है।

(9) इसके इलावा कच्चे खालें खोदे जाना, बीज तथा कीटाणुनाशक दवाईयों पर छूट दी जाना इत्यादि कुछ प्रस्ताव भी भारत सरकार को दिए गए है।

5. भारत सरकार से इस विषय पर विचार विमर्श भी किया गया है। भारत सरकार के अधिकारियों ने यहां आकर स्थिति की जानकारी भी की है। अब यह मामला भारत सरकार के विचारधीन है।

6. गोबिन्द सागर के स्तर में अत्यधिक कमी होने के कारण भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड ने हरियाणा के हिस्से का 42 लाख यूनिट प्रतिदिन की बिजली को घटा कर 27 लाख यूनिट प्रतिदिन कर दिया है। इस कारण हरियाणा बिजली बोर्ड को औद्योगिक व अन्य उपभोक्ताओं पर 30 प्रतिशत कटौती लगानी पड़ी। परन्तु कृषि कार्यो के लिए फिर भी कोई कटौती नहीं लगाई गई। केवल चन्द स्थानों पर जहां लोड बढ़ जाता था वहां बिजली की सप्लाई को समय–बद्ध (Stagger) करने की अवश्यकता उत्पन्न हुई। 7

अगस्त से 11 अगस्त तक दिल्ली के थर्मल स्टेशन में कुछ खराबी की वजह से हरियाणा में आने वाली बिजली की सप्लाई में 15 लाख यूनिट बिजली की और कमी हो गई जिसकी वजह से कृषि कार्यों पर समय–बद्धता की कुछ और स्थानों में आवश्यकता हुई। 11 अगस्त से दिल्ली से प्राप्त होने वाली बिजली की सप्लाई प्राप्त हो गई और वैसे भी हाल ही में हुई वर्षा के कारण स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। अब कृषि कार्यों के लिए हरियाणा राज्य में बिजली पर किसी प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है।

7. सरकार हर प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए सब तरह से सजग है। हमारे किसानों ने देश को आत्मनिर्भरता दी है। हमें भी संकट के समय पर किसानों का साथ देना है। किसान को हर उचित सहूलियत प्रदान करना यह सरकार अपना कर्त्तव्य समझती है।

गैर–सरकारी प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब चौधरी हरद्वारी लाल अपना गैर–सरकारी प्रस्ताव पेश करेंगे।

चौधरी हरद्वारी लाल (बहादुरगढ़) : स्पीकर साहब, मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं –

That this House invites the attention of the Government to the decision of the Government of India published *vide* Press Communique-Punjab Disputes on 29th January, 1970, relating to the transfer of a part of the Fazilka

tehsil of Ferozepore district in Punjab comprising the old Zail of Fazilka and Fazilka Town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the Zails of Chandankhera and Kundal, to Haryana, and also relating to the transfer to Haryana of a strip of territory of an average width of about on furlong along the inter State boundary between Punjab and Rajasthan in village Kandukhera of Muktsar tehsil. This House also recomends to the Government that the Government of India be approached with the request to appoint, at an early date, a Commission, as contemplated in the Government of India's communique dated 29th January, 1970, for the settlement of "claims and counter-claims for re-adjustment of the existing inter-State boundaries" so that the transfer of Fazilka and Abohar areas mentioned above and the transfer of other Hindi-speaking areas to which Haryana has laid claim, may be expedited.

स्पीकर साहब, पेशतर इसके कि मैं इस प्रस्ताव पर कुछ कहूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि गवर्नमैंट आफ इण्डिया की तरफ से जो इस प्रस्ताव के बारे में एवार्ड, या कम्यूनिक है, वह मैं आप के सामने पढ़ दूं, (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई) थोड़ा सा लम्बा जरूर है, पर मैं यह पढ़ना जरूरी समझता हूं—

"Consequesnt upon the reorganisation of the composite Punjab Reorganisation Act, 1966, Punjab and Haryana has each been persistently demanding inclusion of Chandigarh in its territory. Claims have also been made by Punjab, Haryana and Himachal Pardesh for the exclsuve control over the Bhakra and Beas Projects. Apart from these,

there have been claims and counter-claims for territorial adjustment from all of them.

2. In the interest of amity and good neighbourliness between the people inhabiting the areas of the composite Punjab, Government of India have made repeated efforts to settle these matters on the basis of agreement between the parties. The Chandigarh issue had in particular been agitating the public mind and the Government had, therefore, announced in Parliament on 18th November, 1969 that in case no agreed solution was forthcoming, a decision would be taken and announced before the Budget session of Parliament.

3. Government have considered various alternatives for settling this matter but no agreed solution has been possible. Keeping in view the desire of the people of each State that its capital should be at Chandigarh, the feasibility of dividing the city has also been explored. Chandigarh is a planned city which was built to serve as the capital of a single large state. Its lay out, architecture and beauty have evoked wide admiration and the city has acquired an international reputation. Government have, therefore, come to the conclusion that it will not be in the interest of the people of Chandigarh or of either of the two States to divide the city.

Accordingly after very carefully weighing the claims of the two States they have decided that the Capital Project area of Chandigarh should as a whole go to Punjab.

4. At the time of formation of the Union Territory of Chandigarh, alongwith the Capital Project area, certain adjoining areas which were previously part of the Hindi of the Punjabi region were included in the Union Territory. Now that the entire Project area is to be transferred to Punjab, Government have decided that the areas which were added to the Union Territory from the Punjab region of the erst whileState of Punjab should be transferred to Punjab and those from Hindi region to Haryana. A part of the Sukhna lake also fell in the Hindi region but on practical considerations division of the lake is not advisable. Hence the entire lake alongwith its embankments will be kept as part of Chandigarh.

5. Government have also decided that a part of the Fazilka tehsil of Ferozepur district in Punjab comprising the old Zail of Fazilka and Fazilka town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the Zails of Chandankhera and Kundal should be transferred to Haryana. (After careful verification a list of villages and towns falling in this area will be published).

In order to provide contiguity between this area and the rest of Haryana a strip of territory of an average width of about one furlong alone the inter-state boundary between Punjab and Rajasthan in village Kandukhera of Muktsar tehsil will also be transferred to Haryana.

6. Haryana will have to incur large expenditure in building a neew town-ship to serve as its capital. Keeping this in view, the Government of India have decided to give a grant

of Rs. 10 crores and a loan of the same amount to the Government of Haryana.

7. The Government of India hope that the State Government will soon select a suitable site for its capital and start construction. However, construction of a new capital will necessarily tkae some years. The Government of Haryana will, therefore, continue to have the use of office and residential accommodation now allotted to them by the Central Government in Chandigarh for a period not exceeding five years. During this period Chandigarh will remain a Union Territory.

8. As regards other claims and counter-claims for re-adjustment of the existing inter-state boundaries, the Government propose to appoint a Commission with suitable terms of reference, which will be settled in consultation with the Governments of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh.

9. Transfer of the area mentioned in para 5 and transfers decided upon on the recommendations of the Commission mentioned in para 8 will be effected simultaneously.

10. Government intend to bring forward necessary legislation to give effect to these decisions.

11. As regards the Bhakra and Beas projects, the Punjab Reorganisation Act, provided for setting up a Management Board for Bhakra and a Construction Board for Beas Project. The States of Punjab, Haryana and Rajasthan and the Union Territory of Himachal Pradesh are represented on these Boards, which function under the overall control of

the Central Government. The present arrangements have been made keeping in view the integrated irrigation and power systems based on these projects and in the interest of the beneficiary States. However, such modifications in these arrangements as are necessary will be considered.

12. Government hope that these decisions taken in the best interest of the progress of the two States, will be accepted by the Governments and the people of the two States with goodwill and understanding.

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह फैसला 29 जनवरी, 1970 को हुआ था। मैं यह प्रस्ताव पेश करता हुआ बड़ा दु:ख महसूस करता हूं और इसके लिये मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट भी है। हिचकिचाहट इस वास्ते है कि आज मुल्क की ऐसी स्थिति है कि उस में अलग–अलग प्रान्तों के आपस के झगड़ों के कारण मुल्क कमजोर पड़ सकता है और हम पर यह इल्जाम लग सकता है कि ऐसे मुश्किल वक्त में आप इस किस्म के सवाल उठा कर मुल्क को निर्बल कर रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, दूसरा कारण यह भी है कि एक सदी से मुल्क के उस हिस्से को, जिस को 'हरियाणा' कहा जाता रहा है, अब तो खैर हरियाणा प्रांत बन गया है इसलिए हरियाणा स्टेट कहते हैं, लेकिन पहले भी ज्योग्राफी कन्सैप्ट के तौर पर हरियाणा के साथ बेइन्साफी होती रही है। पहले अंग्रेज बेइन्साफी करते रहे और फिर अंग्रेजों के जाने के बाद भी, इन्डिपैंडैंस के बाद 20 साल तक, हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा और उस वक्त भी हमें कोई इन्साफ नहीं मिला। यहां, इस एवान

में मुझे पता नहीं कितने मैंबर साहिबान इस बात से इत्तफाक करेंगे, लेकिन मैं यह अर्ज करूंगा कि यह स्वर्गीय चौधरी सर छोटू राम जी की मेहनत का और हिम्मत जतीजा ही था कि पंजाब के नक्शे पर हरियाणा उभरा। उन्होंने कोशिश की। उनकी ही कोशिशों से हरियाणा के लोगों को कुछ मुलाजमतों का हिस्सा मिल गया और थोड़ी बहुत और डिवैल्पमैंट हो गई, वर्ना डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस वक्त पूरे पंजाब के 29 जिलों में हरियाणा की कोई हैसियत नहीं थी। फिर सन् 1947 के बाद पंजाब में सिर्फ 13 जिले रह गए थे। इनमें पांच हरियाणा के थे और आठ पंजाबी इलाके के थे। आजादी के बाद हमें कुछ आशा हुई थी कि इस नए निजाम में, शायद हरियाणा को कुछ मिल सके और यह ख्याल था कि अब जरूर कुछ न कुछ तरक्की होगी। लेकिन डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह आशा भी पूरी न हो सकी। 20 साल तक पंजाब और हरियाणा एक प्रांत रहे लेकिन हरियाणा को उन 20 सालों में भी कोई इन्साफ नहीं मिला, मुलाजमतों में हरियाणा का हिस्सा बिल्कुल मन्फी के बराबर था, बड़ी मुलाजमतों का तो कहना ही क्या।

इसी तरह से डिवैल्पमैंट के सिलसिले में भी हरियाणा को इगनोर किया गया। शुरू में भाखड़ा डैम की स्कीम सन् 1904 में बनी थी और सन् 1937 के बाद हरियाणा के फायदे के लिए उस स्कीम को सरअंजाम पहुंचाने के लिए विचार हुआ। लेकिन जिस वक्त भाखड़ा डैम तामीर हो गया तो इस पानी के भी बहुत

से हकदार पैदा हो गए और हरियाणा को बिलकुल मामूली हिस्सा मिला। अब हम नजर लगाए बैठे हैं, ब्यास प्रोजैक्ट के पानी पर, जो कि सन् 1974–75 में हमें मिलेगा और कुछ खुश्की दूर हो सकेगी। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अगर गवर्नमैंट के कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत न की और लोगों ने तुआवन न दिया तो उस पानी का भी, जो हमें मिलना है, शायद हम इस्तेमाल न कर सकें क्योंकि 20 साल के अरसे में जब हम पंजाब के साथ थे तो उन्होंने हमारे साथ यह भी ज्यादती की कि हमारे कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव नहीं होने दिया। पंजाब में हर बजट में रीमाडलिंग आफ जमुना कैनाल के लिए, सड़कों के लिए और हरियाणा को इलैक्ट्रीफाई करने के लिए बहुत रुपया रखा जाता था, सब स्कीमों के लिए बजट में रुपए की प्रोविजन कर दी जाती थी लेकिन साल के आखिर में आकर, स्वर्गीय सरदार प्रताप सिंह, सारे का सारा रुपया लैप्स करवा देते थे। इसलिए यहां पर कोई काम नहीं होता था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आज सही पोजीशन यह है कि जब तक हम 100 करोड़ रुपए का इन्तजाम नहीं करते, चाहे कहीं से कर्जा लें, या कहीं से भीख मांगें या अपने ऊपर टैक्स लगा कर इकट्ठा करें, कहने का मतलब यह है कि जब तक हमारे पास 100 करोड़ रुपया नहीं होगा उस वक्त तक हमारा कैनाल सिस्टम इम्प्रूव नहीं हो सकता और हमें जो ब्यास प्रोजैक्ट का पानी मिलेगा एसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते।

यही हालत पहले सड़कों की थी और ऐसी ही शिक्षा की हालत थी। मुझे जाति तजरुबा है। मैंने बहुत मेहनत से कुरुक्षेत्र युनिवर्सिटी में काम शुरू किया था। वहां पर 10–12 लड़के दाखिल हो गए और सरकार ने सिर्फ दो लाख रुप्या की सालाना ग्रांट मंजूर की थी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप अन्दाजा लगाएं कि एक यूनिवर्सिटी जिस पर करोड़ों रुपया खर्च आता है उसके लिए, उस वक्त की पंजाब सरकार ने सिर्फ दो लाख रुपया ही मंजूर किया।

बिजली की फिग्गर्ज यह हैं कि तमाम हरियाणा में 6,669 गांव थे। इन में से मुश्तरका पंजाब के वक्त, सन् 1966 तक, हरियाणा बनने से पहले 1251 गांवों में बिजली थी। मैं आज यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आज हरियाणा में हम जो कुछ देख रहे हैं उसका 75 फीसदी हिस्सा सन् 1966 के बाद में हुआ है, किसी भी शोबे में आप देख लें, चाहे तालीम का है, चाहे नहरों का है, चाहे आप सड़कों को देख लें और चाहे बिजली के क्षेत्र में देख लें। यह सारा काम पिछले पांच सालों में सन् 1966 के बाद हुआ है। बाकी कितना हुआ, कितना होना चाहिए था और जो कुछ हुआ उस में क्या त्रुटियां हैं, यह एक अलहदा बात है।

एक आवाज : चौधरी साहब यह तो सारा 1968 के बाद हुआ था।

चौधरी हरद्वारी लाल : यह तो आप अपनी स्पीच में कहें, मैं तो वही कहूंगा जो मेरी राय है। तो खैर, आप ऐसी बातें भी कहेंगे जिनका इस प्रस्ताव से कोई ताल्लुक नहीं होगा। लेकिन मैं यही बात कहूंगा कि आज जो काम हम देख रहे हैं उस में 75 फीसदी हरियाणा बनने के बाद यानी सन् 1966 के बाद हुआ है। उस से पहले सिर्फ 25 फीसदी काम ही हुआ था जो हमारे हिस्से में आया था।

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो चौधरी साहब मुकाबला कर रहे हैं, उसका इस रैजोल्यूशन के साथ क्या ताल्लुक है ? यह तो जब सप्लीमैंट्री एस्टीमेट्स आएंगे उस पर कहा जा सकता है।

चौधरी हरद्वारी लाल : यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमें आप की आदत का पता है।

चौधरी चांद राम : चौधरी साहब हमारी आदत और आप की आदत हरियाणा में छुपी हुई नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा सवाल यह है कि जो कुछ उन्होंने मुकाबला किया है क्या उस का इस रैजोल्यूशन के साथ कोई ताल्लुक है ?

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब आप अपने रैजोल्यूशन पर ही बोलें।

चौधरी हरद्वारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा इस में और भी बातें आएंगी। मैं यहां पर बतलाऊंगा कि यह जिक्र मैं

क्यों कर रहा हूं। वह भी एक कारण है। वह यह है कि हरियाणा के दो किस्म के दुश्मन रहे हैं। उनमें एक तो बाहर के दुश्मन थे। लेकिन जो बहुत सी चीजें नहीं हुई, उन के लिए जो अन्दरूनी दुश्मन थे, वे जिम्मेवार हैं। इसलिए मैं सारी चीजें अर्ज करूंगा। सन् 1952 से लेकर 1962 तक, दस साल का ऐसा अर्सा था, जिस में इस देश में तरक्की के कामों पर पानी की तरह रुपया बहाया गया। लेकिन आज तो हालत बड़ी खराब है, कीमतें बढ़ी हुई हैं और बहुत तंगी है। तो खैर, मैं यह जिक्र कर रहा था कि उस वक्त तामीर के कामों के लिए जो रुपया पंजाब के हिस्से में आया उस में हमारे हरियाणा का भी हिस्सा था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि उस वक्त पंजाब में किस तरीके से हरियाणा की स्कीमों के लिए बजट में रुपया रखा जाता था और साल के बाद वह रुपया लैप्स हो जाता था और वह लैप्स इसलिए होता था, क्योंकि कुछ आदमी, जो हमारे प्रान्त के अन्दरूनी दुश्मन थे वे सरदार प्रताप सिंह के हाथों में अपने जाति मुफाद लेने के लिए बिके हुए थ । उस वक्त बदकिस्मती यह थी कि (11:00 प्रातः) प्रान्त में अन्दरूनी दुश्मनी दुश्मनी थी जिसकी वजह से कुछ आदमी अपने आपको बेचने के लिए तैयार रहते थे। सरदार प्रताप सिंह के हाथों वजीर बनने के लिए उनकी खुशनूदी हासिल करने के लिए वे हर वक्त तैयार रहते थे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बात इररैलेवेंट नहीं है। मैं आपको वे रिपोर्टस दिखलाऊंगा जिन के बेसिज पर हरियाणा को नुक्सान हुआ है। हरियाणा प्रदेश अलग बनने के बाद भी इसके साथ बेइन्साफी हो रही है क्योंकि इसकी बदनसीबी के बीज

उस वक्त के बोये हुए हैं। मैं इसके बारे में एक कमेटी की रिपोर्ट पढ़ कर सुनाऊंगा। हरियाणा अलग बनने के बाद चण्डीगढ़ के प्रश्न पर बहुत बहस होती रही। हमारी तरफ से और पंजाब के अकाली भाईयों की तरफ से चण्डीगढ़ को लेने के लिए काउंटर–क्लेम होते रहे। मैं सदन को यह बताना चाहता हूं कि चण्डीगढ़ गया कैसे था। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उसे सुनकर आपको ताज्जुब होगा। मैं एक कमेटी की कार्यवाही की तरफ आपकी तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। जिसकी बैठक 24 अक्तूबर, 1956 को हुई थी। इस कमेटी की कार्यवाही के पैरा 110 में यह लिखा है–

"Proceedings of meeting held at 3:30 P.M. on 24th Octorber, 1956] in the Committee Room of the Canal Rest House, Delhi regarding demarcation of Hindu and Punjabi area."

उस वक्त कमेटी रूम, कैनाल रैस्ट हाउस में था, हरियाणा भवन तो अब बाद में बना है। उस कमेटी में जो हाजिर थे वे ये है :–

1. S. Partap Singh Kairon, Chief Minister, Punjab.

2. Professor Sher Singh, Irrigation and Power Minister, Punjab.

3. Chaudhri Devi Lal, Chief Parliamentary Secretary.

4. Pandit Mauli Chander Sharma, Delhi.

5. Giani Kartar Singh, M.L.C.

6. Shri Virendra of Daily Partap, Jullundur.

इस कमेटी की कार्यवाही यह है :—

It is gratifying to report that all the six members of the Committee consider that demarcation of Punajbi and Hindi regions should generally be done on distric basis.

आपको याद होगा, उस वक्त रिजनल फार्मूला बना था, जिस के तहत हिन्दी रीजन और पंजाबी रीजन बने थे। हरियाणा और पंजाब की बाउंडरी का फैसला तो उसी वक्त हो गया था जिस वक्त डिमारकेशन हुई थी।

There are, however, certain exceptions that are urged by the members of the Committee for the consideration of the Central Government. One of these on which they all agree is that Jind and Narwana of Sangrur district should go to Hindi region, and Rupar and Kharar of Ambala district should go to Punjabi region.

डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की खरड़ तहसील का फैसला तो उसी वक्त कर दिया था कि यह पंजाबी रीजन में जाएगी।

provided;

(1) That the Chandigarh Capital Project area be kept apart from the two regions as a joint concern to be looked after as a special responsibility by the Chief Minister. So long as it does not become a full fledged constituency on population basis .....

चौधरी चांद राम : आन ए प्वायंट आफ आर्डर, मैडम। एक प्वायंट आफ आर्डर तो मैंने पहले उठाया था जिस पर आपने कहा था कि रैलेवैंसी है। लेकिन अब दूसरी दफा मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो कुछ ये कह रह हैं, हो सकता है यह हमारे क्लेम के अगेनस्ट जाए क्योंकि यह सब कुछ कार्यवाही का पार्ट बन रहा है। हो सकता है यह चीज हमारी स्टेट के खिलाफ जाए इसलिए चौधरी हरद्वारी लाल जी को यह चीज पढ़न की इजाजत नहीं देनी चाहिए। जो कुछ इस में लिखा हुआ है, इसकी बहुत सी बातें हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि चौधरी साहब किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं या किसी की हिमायत कर रह हैं। मैं स्टेट के इन्ट्रैस्ट में कह रहा हूं। मेहरबानी करके जो कुछ भी प्राईवेट नैगोशिएशन्ज हुई थी उस को यहां पर न लाया जाए, इससे हमारी स्टेट को नुक्सान हो सकता है। (व्यवधान)

उपाध्यक्षा : जहां तक रैलेवैंट या इररैलेवैंट होने का ताल्लुक है और जहां तक इन के बोलने का सम्बन्ध है, इस बारे में मेरा कहना यह है कि जो कुछ ये बोल रहे हैं यह प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है जो चीज प्रस्ताव से सम्बन्ध रखती हो वह इररैलेवैंट नहीं है। जहां तक स्टेट का सम्बन्ध है, इस के बारे में अगर चीफ मिनिस्टर साहब कुछ रोशनी डालना चाहे तो डाल सकत हैं और सदन को बता सकते हैं।

चौधरी हररद्वारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं किसी प्राइवेट डाक्यूमैंट से नहीं पढ़ रहा हूं। यह पंजाब बाउंडरी कमीशन की रिपोर्ट है और यह सारी चीजें शाह कमीशन के सामने आ चुकी हैं। जो कुछ मैं बतला रहा हूं.....

चौधरी राम लाल वधवा : मगर इसका फायदा क्या है ? आपने जो रैजोल्यूशन सदन के सामने रखा है उसको मन्जूर करवाने के लिए उसकी स्पोर्ट में कोई अच्छी चीज दें, तो अच्छी बात होगी।

उपाध्यक्षा : हाउस के अन्दर हर एक मैम्बर को यह लिबर्टी है कि यह प्रस्ताव से सम्बन्धित जो कुछ चाहे कह सकता है। कम से कम चेयर उसको रोक नहीं सकती !

चौधरी राम लाल वधवा : हम तो उनको बिल्कुल रोक नहीं सकते

चौधरी हरद्वारी लाल : जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुनें ! आगे लिखा है।

(1) that the Chandigarh Capital Project area be kept apart form the two regions as a joint concern to be looked after as a special responsibility by the Chief Minister. So long as it does not become a ful fledged constituency on population basis, its representative will sit in the Punjabi region committee.

अपनी तरफ से फैसला कर चुके थे कि चण्डीगढ़ का रीप्रिजैंटेटिव पंजाबी रीजन कमेटी में बैठेगा।

(2) that Kalka and Simla be included in the Hindi region.

(3) that Zail Chandi Mandir and parts of Zail Mubarakpura of Kharar tehsil contiguous to Hindi speaking area should be included in the Hindi region.

Another exception put forth by Shri Virendra is the Kangra should be placed in the Punjabi region.

Another exception, which is subscribed to by Gaini Kartar Singh, Professor Sher Singh and Chaudhri Devi Lal is that a compact Hindi speaking area of Fazilka and a compact Punjabi speaking area of Sirsa andFatehabad Tehsils should go to Hindia and Punjabi regions respectively.

इसके मुताबिक फतेहाबाद का इलाका पंजाब में जाना चाहिए था। चौधरी भजन लाल जी अब हिन्दी रीजन में बैठे हैं, वरना वह तो इनको पंजाबी रीजन में ले जाने का इन्तजाम कर रहे थे।

In this connection, they have agreed that tehsil Fazilka excluding thana Jalalabad and thana Fazilka (excepting Zail and twon of Fazilka which should being to Hindi region) and also excluding Zail Chandankhera and Zail Kundal of police station Abohar should be included in the Hindi region .....

इस पर इन सब के दस्तखत हैं। सन् 1956 में उस वक्त खराब मिट्टी होनी शुरू हुई थी जो आज तक जारी है।

चौधरी चांद राम : आप 1956 में कहां थे ? ..... (व्यवधान) !

चौधरी हरद्वारी लाल : मैं 1956 में नहीं था। जो 1952 से 1962 तक रहे वही सब से ज्यादा मुलजिम हैं ..... (व्यवधान) ।

चौधरी चांद राम : आप हिन्दुस्तान में थे या नहीं ? (शोर)

चौधरी हरद्वारी लाल : मैं हिन्दुस्तान में नहीं था ..... ये मुलजिम कम नहीं हैं जो ये, दो–चार कोने में बैठे हैं। मैं सारी बातें बताऊंगा, जरा सुनते जाइए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक बात पहले ही साफ कर देता हूं कि डिबैट्स निकलवाई जाएं। इस तरफ कोने से जिन भाईयों की आवाज आ रही है उनकी स्पीचें निकलवाई जायें और सुना दें कि 1962 में सरकार प्रताप सिंह, इनको मेरे खिताफ बोलने के लिए किस तरह से इस्तेमाल करते थे ? (विध्न तथा शोर) किस का पोलिटिकल कंडक्ट कैसा है इसका फैसला तो लोगों ने करना होता है। मैं दावे से कहता हूं कि चौधरी रिजक राम जी इस्तीफा दे दें और में भी इस्तीफा दे दूंगा। बहादुरगढ़ में आने की तो मैं इनको तकलीफ नहीं दूंगा क्योंकि वहां तो ये आ ही नहीं सकते, लेकिन हम दोनों राई कांस्टिच्यूऐंसी

से इलैक्शन लड़ लेते हैं और हमारे पोलिटिकल कंडक्ट का फैसला, लोग कर देंगे कि आया इनका पोलिटिकल कंडक्ट ठीक है या मेरा पोलिटिकल कंडक्ट ठीक है! ....(शोर) ..... हम तो साफ कहते हैं कि अपोजीशन में हैं, लेकिन जो गवर्नमैंट ठीक काम करेगी उसकी हिमायत करेंगे। ये लोग रोजाना तो चौधरी बंसी लाल से मिलने की कोशिश करते हैं, मगर कहते है कि हम अपोजीशन में हैं (विघ्न एवं शोर)

एक आवाज : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इनसे इस्तीफा तो दिलवाओ!

चौधरी हरद्वारी लाल : आप उनसे तो कहलवाओ, मैं फौरन दे दूंगा। ... (शोर)

श्रीमती चन्द्रावती : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा एक प्वायंट आफ आर्डर हैं। आज तक तो हाउस में दो ही लीडर हुआ करते थे, एक लीडर आफ दी हाउस और एक लीडर आफ दी अपोजीशन लेकिन अब, मैडम, आपको तीन लीडर रिकोगनाईज करने पड़ेंगे। मैं यह जानना चाहती हूं कि यहां कितने लीडर हैं ?

Chief Minister (Chaudhry Bansi Lal) : There are only two Leaders in the House-one the Leader of the House and the other Leader of the Opposition. The third person has no locusst andi ..... (Interruptions).....

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, चौधरी हरद्वारी लाल जी ने एक बात कही है। मैं उसका जवाब देना

चाहता हूं। इन्होने यह कहा कि मेरे और इनके पोलिटिकल कंडक्ट का पता इस बात से चलेगा कि कौन कहां से जीत कर आता है। इस बारे में मेरी अर्ज यह है कि हमारा कंडक्ट तो ठीक है क्योंकि जहां से चुन कर आए हैं वहां के नुमांयदे की हैसियत से यहां बैठे हैं, लेकिन इनको अपने मिस–कंडक्ट की वजह से इस्तीफा दे देना चाहिए। इनके बारे में कोई शक की बात नहीं हैं।

उपाध्यक्षा : मैं हाउस से रिक्वैस्ट करूंगी कि पहली बात तो यह है कि प्रस्ताव के ऊपर कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं होना चाहिए और न ही प्वायंट आफ आर्डर की कोई जरूरत है। प्रस्तावक बोल रहा है! दूसरे मैम्बर्ज को भी समय दे दिया जायेगा। उस वक्त मैम्बर साहिबान जो इनकी बातें उनको अच्छी न लगें उनका जवाब दे सकते हैं। मेरे ख्याल में यह ज्यादा अच्छा रहेगा। आप लोग हाउस के डैकोरम को ठीक रखें और इनको बोलने दें।

चौधरी हरद्वारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जब तक मैं इनको जवाब ठीक से नहीं दूंगा तब तक ये आपकी सही नसीहत को नहीं मानेंगे, (विघ्न) ये ऐसे मान सकते ही नहीं! खैर पोलिटिकल कंडक्ट का जिक्र यहां किया गया। इस बारे में मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इन्हौंने और इनके महान् नेात ने मुझसे कहा कि 14 तारीख को श्रीमती इन्दिरा गांधी से आप इन्टरव्यू ले दो ताकि हम कांग्रेस में दाखिल हो जायें (विघ्न) 12 हैं, हमारा वजन भी हैं। हम नहीं बात कर सकते। (तालियां एवं विघ्न) सौ चूहे

खाकर एक दफा बिल्ली हज हो गई है। एक दफा राज्य सभा से इस्तीफा दे दिया लेकिन 10 साल यहां बैठकर सारे हरियाणा को बेचते रहे और आज कहते हैं कि हम हरियाणवी हैं ..... (विघ्न) .. ...

श्री अमर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। ओनरेबल लीडर आफ दी सरकारी अपोजीशन ने यहां पर एक रैजोल्यूशन पेश किया है और वह रैजोल्यूशन इस हाउस में अन्डर डिस्कशन है। मेरी समझ में यह नहीं आया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और दूसरी बातों को इस रैजोल्यूशन के द्वारा ये कैसे रैफर कर रहे हैं ? इस तरफ से तो हाउस का टाईम वेस्ट हो रहा है। यह बहुत अहम रैजोल्यूशन है। दूसरे सदस्यों ने भी इस पर बोलना है। इसलिए आप इन से कहें कि स्ट्रिक्टली रैजोल्यूशन पर ही बोलें।

Deputy Speaker : This is no Point of Order. It is for me to see whether the Honourable Member is speaking relevant or not.

Chaudhri Chand Ram : No Honourable Member, while speaking, can make any reference to those persons, who are not present in the House.

उपाध्यक्ष : यह तो मैंने आपके कहने से पहले ही उनसे कह दिया हैं।

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अभी अपोजीशन की तरफ से बोलते हुए हमारे साथी ने कहा कि 1952 से 1962 तक जो मैम्बर हरियाणाा के विधान सभी में थे वे दस साल तक हरियाणा को बेचते रहे। इस तरह जनरल किस्म की वाइल्ड ऐलीगेशन लगाना बहुत गलत बात है। उस वक्त तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप भी विधान सभी की सदस्या होगी और मेरा ख्याल है कि पंडित चिरंजी लाल जी भी सदस्य होंगे .....

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैं तो 1962 से 1967 तक था।

चौधरी रिजक राम : चौधरी माडू सिंह जी भी उस वक्त सदस्य थे, और भी कितने ही मैंम्बर थे। इसलिए मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह जनरल किस्म की वाइल्ड ऐलीगेशन लगाने के बाद भी यदि वेरैलेवेन्ट हैं तो वह ठीक बात नहीं। मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि इस किस्म की बातों से कोई फायदा निकलना नहीं है। आनरेबल मैम्बर, जिस सरदार प्रताप सिंह की बात कहते हैं उस सरदार साहब ने इन्हें पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम्बर और कुरूक्षेत्र युनिवर्सिटी का वाइस–चांसलर बनाया था। जब वे दिल्ली जाते थे तब ये ही दस–दस हजार की थैलियां उन्हें भेंट करते थे। जब उन्होंने 1962 के बाद उन्हें वजारत में नहीं लिया तो वे इनके दुश्मन बन गए। आज से सारी बातें भूल गए और बार–बार इस बात को ... (विघ्न)

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, बात को मत बढ़ाइए, जाने दीजिए और चौधरी हरद्वारी लाल जी को बोलने दीजिए।

चौधरी हरद्वारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, रहने दीजिए। एक दफा ही फैसला हो जाए तो अच्छा है।

चौधरी राम लाल वधवा : आपने ही बात छेड़ी है।

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, इससे ज्यादा अहसान फरामोश आदमी, कोई और हो नहीं सकता जिस सरदार प्रताप सिंह ने एक थर्ड–क्लास एम0 ए0 को पब्लिक सर्विस कमीशन का मैम्बर बनाया और यूनिवर्सिटी का वाईस–चांसलर बनाया उसके प्रति यह इस तरह की बात करें (विघ्न एवं शोर)

चौधरी हरद्वारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मैं थर्ड क्लास एम0 ए0 हूं तो यह पढ़ा लिखा भी नहीं है। इसके अन्दर न कोई अकल है और न ही बात करने का सऊर है। कल आपने इनकी तकरीर सुनी ही थी, वह कोई तकरीर नहीं थी। ये चाहते हैं कि मैं इनके मातहत रहूं, इनको लीडर मान कर बैठूं। मेरी इसमें कितनी हतक है.....

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जरा इससे पूछो तो कि अब जो लीडर बना है, क्या अपने दम से बना है ?

चौधरी हरद्वारी लाल : हां, अपने दम से बना हूं।

चौधरी राम लाल वधवा : जरा पिछलों से कहलवाओ।

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिनके ये लीडर बने हैं वे कहते हैं कि कहां लग गए बन्दर के पीछे। (शोर)

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये आदमी को बन्दर कैसे कह सकते हैं ?

चौधरी हरद्वारी लाल : आदमी को भैंस भी कहा जा सकता है।

चौधरी शिव राम वर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यदि 11 में से 5 भी कह दें कि ये इनके लीडर हैं तो मैं मान जाऊंगा।

Deputy Speaker : You cannot challenge like this. Chaudhri Hardwari Lal should contine his speech.

चौधरी हरद्वारी लाल : होने दो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, अच्छा है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अपोजीशन की इस परफारमैन्स को देख कर हमें बड़ी खुशी हासिल होती है । (विघ्न)

चौधरी राम लाल वधवा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, जरा इनसे यह तो पूछो कि अपोजीशन की लीडरशिप के लिए इन लोगों से दस्तखत इन्होंने करवाये थे या चीफ मिनिस्टर साहब ने ?

गृह मंत्री (श्री के0 एल0 पोसवाल) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, रैजोज्यूशन के ऊपर एक मैम्बर बोल रहे हैं। इस वक्त चैलेंज करने का वक्त नहीं है कि लीडर आफ दी अपोजीशन कौन बने। .....

श्री के0 एन0 गुलाटी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह से सरकार का पैसा क्यों जाया किया जा रहा हैं ?

श्री के0 एन0 पोसवाल : आपके ऊपर तो पैसा बरबाद हो ही गया है। (विघ्न) तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह दरख्वास्त कर रहा हूं कि 16 और 13 के झगड़े में 52 आदमियों की भी कुछ सुन लो।

चौधरी बंसी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा एक गैर–जिम्मेदार मैंबर ने अभी यहां सदन में यह कहा कि लीडर आफ दी अपोजोशन के लिए चीफ मिनिस्टर साहब ने दस्तखत कराये। मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है। यह गैर–जिम्मेदाराना बात है। यह ब्लैक मेलिंग की बात है, और बेबुनियाद बात है। ऐसे मैम्बर को तो सदन में बैठने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए।

Deputy Speaker : I would request the Honourable Members that they should not utter such words.

Chaudhri Bansi Lal : We will not allow untoward incidents to happen on the floor of the House.

चौधरी हरद्वारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज कर रहा था कि ये सही बात को मानने वाले नहीं हैं परन्तु फिर भी मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा .....

चौधरी बंसी लाल : अब की बार बोलोगे तो एक्सपैल भी करके दिखा देंगे।

चौधरी चांद राम : अब तो आप शान्त हो जाइये!

उपाध्यक्षा : आप इन्ट्रप्ट न करें। (विघ्न)

चौधरी चांद राम : हमने कोई बात गुस्से में नहीं कही। हमने तो उनकी सेहत के लिए कही है। अगर उनको बुरा लगा है तो हम वापिस ले लेते हैं।

चौधरी हरद्वारी लाल : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं यह अर्ज कर रहा था कि जो हमारी कमजोरी है, जो हमारे साथ बे–इंसाफी हुई है। हरियाणा बनने के बाद, उसका एक बड़ा कारण था। जिस वक्त हम पंजाब का एक हिस्सा थे उस वक्त हमारी जनता के चुने हुए नुमाइनदों ने हरियाणा के साथ ज्यादती कीं उन्होंने हरियाणा को बेचा। जब उन्होंने देख लिया कि आगे भी कुछ नहीं बना, थोड़ा–बहुत कहा और बात खत्म हो गयी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको याद होगा कि सन् 1966 में शाह कमीशन मुकर्रर किया गया था। वह इस बात के लिए किया गया था कि पंजाब और हरियाणा की बाउन्डरी का फैसला किया जाये। शाह कमीशन ने जो सिफारिश की थी (विघ्न) .....

उपाध्यक्षा : कोई भी आनरेबल मैम्बर किसी किस्म की इन्ट्रप्शन न करें।

चौधरी राम लाल वधवा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि वे हाउस में बाद में आये हैं, जब वे यहां आये तो बात खत्म हो गयी थी। उनको समझने में गलती लग गयी है। उनका इशारा मेरी तरफ था। अगर मैंने कोई गल्त बात कही है और उनको उससे कोई दु:ख हुआ है तो मैं उसको विदड्रा करता हूं।

चौधरी बंसी लाल : जिन्होंने भी वे हमाकत भरे लफ्ज कहे हैं, उन्हीं के लिए मैंने कहा है, whosoever he was. And if he behaves in the same manner, we will have to deal with him.

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल) : आपने ही तो यह कहा था कि मैम्बरों से मुख्य मंत्री जी ने दस्तखत करवाये।

चौधरी राम लाल वधवा : अब इस बात को डिस्कशन में लेने का कोई फायदा नहीं हैं। अपोजीशन की मीटिंग होती रही है। उसमें मैंने सारी बात को एक्सप्लेन कर दिया था। अगर उन्होंने यह समझा है कि मैंने गलत कहा है तो उस गलती को दोहराने का क्या फायदा है ? मैंने अगर गलत कहा है तो विदड्रा भी कर लिया है।

चौधरी हरद्वारी लाल : शाह कमीशन सन् 1966 में मुकर्रर हुआ। उसकी यह रिपोर्ट है। इसके पेज 49 पर सब से ऊपर के पैरे में लिखा हुआ है .....

"3. That Distric Hissar, Mohindergarh, Gurgaon, Rohtak and Karnal and Tehsils Narwana and Jind (District Sangrur) and Tehsils Kharar (including Chandigarh Capital Project), Naraingarh, ambala and Jagadhri will form the Hindi-speaking State."

इस में कमीशन के एक मैम्बर ने इस तजवीज की मुखालिफत की है, इस सिफारिश की मुखालिफत की, लेकिन मैजोरटी के आधार पर चण्डीगढ़ हरियाणा में आया। चण्डीगढ़ ही नहीं आया बल्कि और भी इलाका बढ़ कर हरियाणा में आया। जैसा कि आपको, डिम्टी स्पीकर साहिबा, मालूम ही है कि शाह कमीशन की रिपोर्ट को इम्पलीमैंट नहीं किया गया, इस पर अमल नहीं हुआ। अमल क्यों नहीं हुआ, उसकी भी कुछ वजुहात थी। उसकी वजुहात क्या थीं, उन वजुहात को ब्यान करना भी बड़ा जरूरी है क्योंकि अब जो अवार्ड है, इसमें भी हममें से एक किस्म के आदमी, वही काम करने लग जायें जो उस वक्त किया गया था। और कहें कि यह एवार्ड इम्पलीमैंट नहीं हो सकता, यह ठीक नहीं है। उस वक्त जो कुछ किया गया, वह कुछ आदमियों ने किया था। उस वक्त श्री सत्य नारायण सिन्हा को मुकर्रर किया गया और उनके जिम्मे लगाया गया कि वे फैसला करें। उन्होंने शाह कमीशन की रिपोर्ट सामने रखी और मुख्य मंत्री बनने के

इच्छुकों से यह कीमत मांगी थी कि अगर तुम मुख्य मंत्री बनना चाहते हो तो इस बात को मान जाओं कि चण्डीगढ़ पर हमारा कोई हक नहीं और अकालियों की तरफ से जोर दिया गया और उन्होनं इस बात को मान लिया कि हम चण्डीगढ़ के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सन् 1966 में चुनाव होना था मुख्य मंत्री का यानी लीडर आफ दी हाउस का । मुख्यमंत्री चुन लिया गया और उसी के साथ–साथ चण्डीगढ़ का सिलसिला भी खत्म हो गया वरना कोई वजह नहीं थी यह शाह कमीशन की रिपोर्ट पूरी तरह से अमल में न लायी जाती। खरड़ तहसील हमारे पास आनी थी और चण्डीगढ़ आना थां उन्हीं दिनों का लिखा हुआ मैं सुनाता हूं। तमाम पार्टियों की हमने एक कमेटी बनायी थी उस कमेटी ने 25 जून को यह प्रस्ताव पास किया–

"We the following Members of Parliament and Punjab State Legislature including Ministers belonging to Haryana area resolve to offer our resignations forthwith if the recommendations of the Punjab Boundary Commission are not accepted in toto."

उस वक्त यह फैसला हुआ था। फिर इस्तीफे देने का सवाल आया कि अगर शाह कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानी जाती है तो हम क्या एक्शन लें ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह इतनी कहानी है जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दस साल तक तो हरियाणा को बेचते रहे और फिर सन् 1966 में भी बेच दिया। अगर थोड़ा सा ईमानदारी से जनता के चुने हुए नुमायन्दे उस

वक्त काम करते तो आज यह पोजीशन न होती। उन्होंने उस वक्त यह फैसला कर लिया कि हम श्री सत्य नारायण सिन्हा पर छोड़ने हैं, जो फैसला वे करें, हमें म¯जूर है।

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कहानी लफ्ज मेरे ख्याल में अन–पार्लियामैंटरी है।

चौधरी हरद्वारी लाल : से मेरा मतलब से है।

उपाध्यक्षा : चौधरी साहब, दिखवा लेते हैं। अगर अन–पार्लियामैंटरी है, तो एक्सपंज करा देंगे।

चौधरी हरद्वारी लाल : अंग्रेजी में तर्जुमा कर दिया है। से आपको जरूर दु:ख हुआ होगा।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : गन्दी से आपका क्या मतलब है ?

चौधरी हरद्वारी लाल : आपके गांव के रहने वाले हैं। आप क्यों नहीं कहते ? सारी चीजें मेरे से ही कहलवाना चाहते हो ?

Chaudhri Partap Singh Daulta : Through you, Madam, I will appeal to all the Honourable Members that the subject is vital to our interest and that the standard of debate should not be lowered to this extent.

चौधरी हरद्वारी लाल : इसके बाद जिन्होंने यह किया था उन्होंने दिल्ली जाकर यह बोल दिया और उनके बोलने के बाद—यह फैसला अर्थात शाह कमीशन की रिपोर्ट बिल्कुल शैल्फ पर रख दी गयी। अब सवाल यह है कि दूसरा फैसला हमारे सामने है। हमारी बदकिस्मती थी। उस वक्त जो अगवा आदमी थे उन्होंने जा कर अपना सौदा कर लिया। अब यह जो फैसला है इसको भी अढ़ाई साल हो गये हैं। अढ़ाई साल में काफी चीजें हुई हैं और अढ़ाई साल काफी वक्त होता है परन्तु कोई फैसला नहीं हुआ। यह इम्पलीमेंट हो सकता था। बिल्कुल साफ फैसला था। इन्साफ नहीं था यह हमारे साथं इन्साफ तो उस वक्त था जबकि चण्डीगढ़ हमारे पास होता। हालांकि यह फैसला इन्साफ पर मबनी नहीं था लेकिन फिर भी हमें कुछ तो मिला है। उसके लागू करने के अन्दर भी अब देर हो रही है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसी वास्ते मैं अर्ज कर रहा हूं कि मरकज में भी कांग्रेस की सरकार है, यहां भी कांग्रेस की गवर्नमैंट है और पंजाब में भी कांग्रेस की गवर्नमैंट है। अब यह भ्झी नहीं कहा जा सकता कि अभी इसको लागू करने मं जरा दिक्कत होगी क्योंकि दूसरी पार्टी की गवर्नमैंट को मनाना आसान नहीं है और हो सकता है वह एजीटेशन शुरू कर दे। यह बात भी अब नहीं है। अब तो इस किस्म का वक्त है कि हम से कम जनवरी, 1970, के एवार्ड को इम्पलीमैंट करने के लिये गवर्नमैंट आु इंडिया के सामने कोई रूकावट नहीं हैं। वह एवार्ड तब इम्पलीमैंट हो सकता है जब एक कमीशन मुकर्रर किया जाये, जैसे कि उस एवार्ड में भी लिखा गया है क्योंकि और भी, जो

कोई दावे हैं, उनके ऊपर भी उस कमीशन ने फैसला करना है। फाजिल्का अबोहर और जो इलाके इस कमीशन ने हमें दिये थे, उनके बारे में इम्पलीमैंटेशन उस वक्त होगी जब दूसरे कोई क्लेमज के बारे में भी यह कमीशन अपनी पूरी सिफारश्ज्ञात करेगा। जब तक यह कमीशन नहीं बैठेगा और अपनी सिफारशात नहीं करेगा, तब तक हमारे पास फाजिल्का भी नहीं आ सकता और अबोहर भी नहीं आ सकता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं इस हाउस से अपील करूंगा। कि वे इसे पास करें। कुछ ऐसे हजरात हैं जो शुरू से ही इसके खिलाफ थे। इस फैसले के ही नहीं, हरियाणा के इन्ट्रैस्ट के भी खिलाफ थे। उनकी जड़ें हरियाणा में नहीं है। उनकी जडें हरियाणा से बाहर हैं। इस वास्ते उन्होंने इसकी मुखालिफत करनी है, और मेरी तकरीर के दौरान अपने ढंग से दखल भी देना है और ऐसी ही गल्त बातें करनी हैं। उन्होंने आखिर में बाहर जाना है। बाहर से ही उनको हुक्म मिलता है और बाहर से ही उनही सारी चीजें गाईड होती हैं। इसलिये मैं अपील करूंगा कि यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो और यही नहीं गवर्नमैंट की इसमें खास जिम्मेदारी भी है। हमारी गवर्नमैंट, यूनियन गवर्नमैंट से कहे कि जो कमीशन 1970 में बिठाने का वायदा किया गया है और जिसकी जिम्मेदारी सैंट्रल गवर्नमैंट ने ली थी, उसे अप्वायंट करे ताकि वह कमीशन अब जल्दी से जल्दी अप्वायंट हो सके जिससे कि हमारे सारे क्लेम्ज और काउन्टर क्लेम्ज का फैसला हो सके और जो चीज हमें मिली हुई है वह मिले। इन लफजों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं।

Deputy Speaker : Motion Moved-

That this House invites the attention of the Government to the decisions of the Government of India published vide Press Communique-Punjab Disputes n 29th January, 1970, relating to the transfer of a part of the Fazilka tehsil of Ferozepore district in Punjab comprising the old Zail of Fazilka and Fazilka Town, the area within the jurisdiction of police station Khuian Sarwar and the area within the jurisdiction of the old Abohar police station excluding the Zails of Chandankhera and Kundal, to Haryana and also relating to the transfer to Haryana of a strip of terrritory of an average width of about one furlong along the inter-State boundary between Punjab and Rajasthan in village Kandukhera of Muktsar tehsil. This House also recommends to the Government that the Government of India be japproached with the request t0o appoint, at an early date, a Commission, as contemplated in the Government of India's communique dated 29th Jaunary, 1970, for the settlement of "claims and counter-claims for re-adjustment of the existing inter-State boundaries" so that the transfer of Fazilka and Abohar areas mentioned above and the transfer of other Hindi-speaking areas to which Haryana has laid claim, may be expedited.

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने एक अमैंडमैंट दी थी।

उपाध्यक्षा : जो लफ्ज ..... का आपने प्वायंट आउट किया था, वह मैं एक्सपंज करवा रही हूं।

चौधरी चांद राम : वह तो ठीक है और आपने बड़ा अच्छा किया है। मैं तो पहले ही जानता था कि वह अनपार्लियामैंटरी शब्द हैं। मैंने एक अमैंडमैंट दी थी, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं।

उपाध्यक्षा : वह मेरे पास नहीं आयी है।

चौधरी चांद राम : मैंने एक घन्टा हुआ दी थी।

Deputy Speaker : I will enquire from the office.

चौधरी चांद राम : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैंने इस वक्त यह इसलिये पूछ लिया है ताकि बाद में कहीं ऐसा न हो कि आप मुझे अमैंडमैंट मूव करने की इजाजत न दें।

उपाध्यक्षा : आप चाहें तो ऐसे ही अमैंडमैंट मूव कर दें क्योंकि अमैंडमैंट तो रैजोल्यूशन के साथ ही पास होगी। इसलिये आप फौर्मल तौर पर ही इसे मूव कर दें।

चौधरी चांद राम : ठीक है जी। अगर आप कहें तो पंडित चिरंजी लाल के बोलते के पश्चात् मूव कर दूगा।

उपाध्यक्षा : ठीक है।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा (सोनीपत) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, लीडर आफ दी अपोजीशन ने जो रैजोल्यूशन मूव किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस रैजोल्यूशन को लाने के लिये मैं चौधरी हरद्वारी लाल को

मुबारिकबाद भी देता हूं। मेरे ख्याल में जो रैजोल्यूशन इन्होंने मूव किया है यह एक बड़ा अहम मसला है और ऐसे रैजोल्यूशन की अब जरूरत भी थी। मेरे विचार में इस सारे हाउस में शायद ही कोई ऐसा आनरेबल मैम्बर मौजूद हो जो इस रैजोल्यूशन से कोई मतभेद रखता हो। इस रैजोल्यूशन के तीन हिस्से हैं। अगर आप गौर से पढ़ें तो पता लगता है कि फाजिल्का और अबोहर के वे इलाके जिनकी बाबत गवर्नमैंट आफ इंडिया ने यह फैसला किया था कि हरियाणा को दिये जायेगें, यह इसका पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा पंजाब और राजस्थान के बीच में बाउंडरी के साथ–साथ एक फर्लांग चौड़े रास्ते से सम्बन्धित है और तीसरा हिस्सा है : अपायंटमैंट आफ ए कमीशन। इससे पहले कि मैं इस रैजोल्यूशन की बाबत कुछ कहूं, मैं हरियाणा के इतिहास के बारे में कुछ रोशनी डालना चाहता हूं कि यह हरियाणा क्या था ? हिन्दुस्तान की अजादी की पहली लड़ाई सन् 1857 में शुरू हुई थी जिसको अंग्रेज '1857 का गदर' कहते हैं। उस समय हरियाणा की जनता ने बर्तानवी साम्राज्य के खिलाफ बगावत का झण्डा बुलन्द किया था और हिन्दुस्तान की जनता के जजबात को झंझोड़ा था, जागृत किया था। वह गदर कहां से शुरू हुआ ? वह गदर हरियाणा से शुरू हुआ, वह जीन्द से शुरू हुआ, वह झज्जर से शुरू हुआ, वह दिल्ली से शुरू हुआ, वह मेरठ से शुरू हुआ। दिल्ली के आसपास का इलाका, आगरा, मेरठ डिवीजन, अलवर और भरतपुर का इलाका, ये सब हरियाणा में थे। जिस वक्त अंग्रेजी साम्राज्य ने देखा कि हरियाणा एक शक्ति है, हरियाणा एक

ताकत है और हरियाणा के अगर टुकड़ न किये गये तो यह हरियाणा बर्तानवी साम्राज्य की हमेशा नाक में दम कर रखेगा और जब 1857 की पहली आजादी की लड़ाई नाकामयाब रही तो उसकी सजा हमें यह मिली कि हरियाणा का सिर कहीं दे दिया, हाथ काट कर किसी दूसरी स्टेट को दे दिये और पैर किसी और को दे दिये। यह छोटा सा हिस्सा हरियाणा स्टेट रख दिया गया। उन्होंने हरियाणा की शक्ल बिगाड़ दी। सजा के तौर पर हरियाणा का कोई हिस्सा पटियाला के पास गया तो कोई जीन्द के पास। जिन लोगों ने बर्तानवी साम्राज्य की जड़ें अपने खून से सींची थीं, उनको हरियाणा के टुकड़े दे दिये गये।

1947 में हम आजाद हुए। आजादी के बाद हमने मांग की कि हरियाणा का कसूर सिर्फ यह था कि उसने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और वह लड़ाई भी यहीं से शुरू हुई थी, जिसकी सजा हमें यह मिली थी कि उसके टुकड़े कर दिये गये, वह टुकड़े जो हरियाणा की बौडी से पहले काट कर दूसरों को दे दिये गये थे उन्हें सी कर एक कर दिया जाये और एक बार फिर पुराना हरियाणा बना दिया जाये। यह कांग्रेस की पालिसी थी और कांग्रेस के नेता यह कहा करते थे कि हिन्दुस्तान आजाद होने की सूरत में ऐसे इलाके जिनकी बोली, खाना पीना और रहन–सहन एक है यानी भाषा के आधार पर, तमाम स्टेट का डी–लिमिटेशन किया जायेगा। नये सिरे से हदबन्दी की जायेगी। 1947 में हम आजाद हो गये। आजादी के कुछ अर्से के बाद हमारा

नया विधान बना। नये विधान के बनने के बाद एक स्टेट्स री–आर्गेनाइजेशन कमीशन वजूद में आया ताकि भाषा के आधार पर स्टेट्स की री–आर्गेनाइजेशन की जा सके। हमने उसके सामने अपना केस पेश किया कि यू0 पी0 का अलवर और भरतपुर का वह इलाका जो पहले हमसे छिन गया था, हमें दिया जाये। मगर दिल्ली की सरकार के अन्दर यू0 पी0 के एक बहुत तगड़े आदमी थे पन्त जी, जब हम उनसे लिे तो उन्होंने कहा देखो भई! अगर यू0 पी0 की कांट–छांट की बात करनी है, तो मौज उड़ाओं, हरियाणा को यू0 पी0 की एक इन्च जमीन भी नहीं दूंगा। हमने उनसे बड़े अदब से कहा पन्त जी, यू0 पी0 का हिस्सा देने का सवाल नहीं हैं, ये इलाके पहले हरियाणा का हिस्सा होते थे, इसलिये यह इलाके हमारे हैं और हमें मिलने चाहिएं। हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी जिसकी वजह से यह हमारे से छिन गये थे। यह हमें वापिस दे दो, यू0 पी0 तो बहुत बड़ी स्टेट है। यह हमारे अल्फाज थे लेकिन पंत जी ने कहा था कि मैं इसका विरोध करूंगा और यह मामला ठप्प हो जाएगा।

उपाध्यक्षा : यह कब की बात है ?

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : यह 1954–55 की बात है। यह स्टेट्स री–आर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने की बात है। हमने पंडित जवाहर लाल नेहरू से इन्टरव्यू सीक किया। पंडित श्रीराम शर्मा के साथ हमने पंडित जी से मुलाकात की। हमने कहा कि पंजाबी हमारी भाषा नहीं, आप हमको हरियाणा दें। इस पर पंडित

जी ने कहा भाषाएं तो जितनी ज्यादा पढ़ी जाएं उतना ही अच्छा है। मैं भी चाहता हूं कि मैं बंगाली सीखूं, पंजाबी सीखूं और दूसरी भाषाएं सीखूं। इस पर पंडित श्री राम शर्मा ने कहाः पंडित जी माफ करें क्या हरियाणा ही एक ऐसी जगह है जहां सारी लैंग्वजिज की ट्रेनिंग दी जाए? दूसरे सूबे भी तो हैं। हमने अपना केस स्टेट्स री–आर्गेनाइजेशन कमीशन के सामने भी पेश किया लेकिन हमारा स्वप्न पूरा नहीं हुआ। हम हरियाणा नहीं बनवा सके। अभी चौधरी हरिद्वारी लाल ने प्रकाश डाला कि हमने हरियाणा की मांग क्यों की ? हम तो पंडित जवाहर लाल नेहरू के पास, कांग्रेस के नेताओं के पास, स्टेट्स री–आर्गेनाइजेशन कमीशन के पास गए, आंकड़े देकर, फैक्ट्स एंड फिग्र्ज देकर हमने अपना केस पेश किया लेकिन चूंकि उस वक्त इक्ट्ठा पंजाब था–वह पंजाब जिसमें हमको बहुत नीचा समझा जाता था, हमारे इलाके को एक कालोनी की तरह समझा जाता था, हमको नफरत की निगाह से देखा जाता था हमारी एक न चली। पंजाब के बजट मैं, पैसा हरियाणा के लिए होता था, खून पसीने की कमाई हरियाणा के लोगों की होती थी लेकिन वह पैसा अम्बाला से परे खर्च होता था। जिस वक्त मैं असैम्बली का मैम्बर बनकर आया, मैंने असैम्बली के अन्दर कहा था कि no taxation without representation । हमने कहा कि सरकार के अन्दर, सर्विसिज के अन्दर हरियाणा की पापुलेशन के मुताबिक हरियाणा का रिप्रिजैंटेशन हो और अगर यह नहीं होगा तो हम इसके खिलाफ झंडा बुलन्द करेंगे। जिस वक्त हम चण्डीगढ़ में आते थे हम देखते थे कि यहां की अच्छी–अच्छी सड़को पर

हरियाणा का मजदूर काम करता था, यहां पर जो जूते गांठता था वह हरियाणा का था, जो यहां पर कुम्हार का काम करता ाि वह हरियाणा का था। इन सुन्दर बिल्डिंग्ज़ की तामीर का काम, जो करते थे वे हरियाणा के थे लेकिन इन मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग्ज़ में हमारा कोई दखल नहीं था। सर्विसिज के अन्दर हम आठ प्रतिशत थे। मास्टरों और पटवारियों के तबादले के लिए भी हमको कमीनों की तरह से देखना पड़ता था। यह थे वह हालात जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हमको अलहदा किया जाए। जब हम बराबर का काम करते थे, बराबर का टैक्स देते थे, हमारी खून पसीना की कमाई थी फिर भी हकूमत के अन्दर पूरा रिप्रेजैन्टेशन नहीं, ये थी कुछ बातें जिन्होंने मजबूर किया कि हम अलग हरिययाणा की मांग करें और खुशकिस्मती से, मैं तो यह कहूंगा कि अगर कोई यह कहे कि हरियाणा बनने का क्रैडिट किसी हरियाणा वाले को है तो यह ज्यादती होगी। हम तो शुक्रगुजार हैं संत फतेह सिंह के जिन्होंने अपनी जान की बाज़ी लगाई और उनकी कोशिशों को हमने सप्लीमेंट कर दिया हालांकि नेशनल इन्ट्रैस्ट में उस वक्त एक आवाज हमारे खिलाफ उठी कि वह बार्डर स्टेट है, बड़ी स्टेट है, ज्यादा ताकतवर स्टेट होनी चाहिए। लकिन जब हालात ऐसे हो कि हम अपने को ऐसा महसूस करते हों कि हमारे गले को दबाया हुआ है, हमें बोलने की हिम्मत नहीं थी, हमारी कोई रिप्रेजैन्टेशन नहीं थी तो इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं थां उस वक्त कहा जाता था कि हमने आपके हरियाणा का आई0पी0एम0 बना दिया है। दस वज़ीर थे और उनमें से एक ऐसे आदमी को वजीर

बना दिया जो उनकी हां में हां मिलाता था, अपनी इंडिपेन्डेंट राय देने की जुर्रत नहीं करता था और हमारा मुंह बंद था।

जिस समय पाकिस्तान का ऐग्रेशन हुआ, उस वक्त शास्त्री जी की हकूमत थी। उस वक्त यह फैसला किया गया कि पंजाबी सूबा बना देंगे और शाह कमीशन मुकर्रर कर दिया गया चाहे आप इसको बाउंडरी कमीशन कहिए। हरियाणा और पंजाब की तकसीम का फैसला हुआ। इस तकसीम में पंजाब के कुछ हिस्से हिमाचल को दिए गए। क्योंकि भाषा के आधार पर, बोली के आधार पर तकसीम होनी थी। हिमाचल भी उस वक्त तंग था, उस पहाड़ी इलाके की बुरी दशा थी उसमें काफी मादनियात थे, काफी रिसोर्सिज़ थे लेकिन उनकी भी हालत कुछ अच्छी नहीं थी। मैं तो यह कहूंगा कि इस री–आर्गेनाइजेशन के बाद हिमाचल इज़ आल गोल्ड, हरियाणा इज़ नाट लूजर। नुक्सान हुआ तो पंजाब को हुआ। पंजाब के वे लोग जो स्वप्न लेते थे कि यह पुरानी स्टेट होगी, बड़ी स्टेट होगी, हम यहां के राजा–महाराजा होंगे, सारी सर्विसिज़ में उनका कन्ट्रोल होगा, उनको सब से ज्यादा नुक्सान हुआ है। अब वे पछताते हैं। अपनी किस्मत को रोते होंगे कि यह सारा पंजाब जहां उनका सारी सर्विसिज़ पर कन्ट्रोल था वह अब खत्म हो गया और एक तरफ हरियाणा बन गया और दूसरी तरफ हिमाचल बन गया।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, शाह कमीशन मुकर्रर हुआ और उसके चेयरमैन सुप्रीमकोर्ट के जज थे जो कि मुल्क की हाईएस्ट

जुडिशियल अथारिटी है। चौधरी हरद्वारी लाल ने बताया कि शाह कमीशन की रिपोर्ट क्या थी, रिपोर्ट के मुताबिक कौन–कौन से इलाके थे जो कि पंजाब को मिलने थे और हिमाचल को रिकांस्टीच्यूट किया गया था। मगर अफसोस है कि हाईऐस्ट जुडिशियल आथैरिटी इन दी कन्ट्री की फांइडिग्ज़ जो कि भाषा के आधार पर थी या जो कुछ भी बेसिज़ बना, उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। वह रिपोर्ट खत्ती में डाल दी गयी। वे समझते थे कि हरियाणा वाले इसके खिलाफ लबकुशानी नहीं करेंगे, कोई शोर नहीं करेंगे। उन्होंने समझा कि जिस हरियाणा के टुकड़े काट–काट कर इधर–उधर फेंक दिए, अब वे क्या करेंगे ? उस वक्त हमारा सिर शर्म से झुक जाता था। मैं उस टाईम एम0एल0ए0 था। मैं जिस पार्टी में शामिल था, हमारे सभी साथियों ने फैसला किया कि अगर शाह कमीशन की रिपोर्ट इम्पलीमैंट नहीं की जाती है तो हम सब रिज़ाईन कर देंगे, ऐसी असैम्बली की सिटिंग में नहीं आना चाहिए जिसका कोई फायदा न हो। लेकिन जो लोग अरबाबे इक्तदार थे, जो कुर्सी पर जलवा अफरोज़ थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उस वक्त उनको अपनी कुर्सी की फिक्र थी, अपनी लीडरशिप की फिक्र थी, अपनी चौधराहट की फिक्र थी। जिस वक्त डिवीजन आफ असैट्स एंड लायबिलीटीज़ की बात चली तब भ्झी उनको कोई फिक्र नहीं था, फिक्र तो सिर्फ अपनी कुर्सी का था। हरियाणा का इन्ट्रैस्ट उनके दिमाग़ में बिल्कुल नहीं था। शाह कमीशन की रिपोर्ट हमारे लिए बेकार साबित हुई क्योंकि हमारे पंजाबी सूबे के भाई जो थे उनके

पास हमारे मुकाबले में ज्यादा ताकत थी, ज्यादा कुर्बानी का जज़बा था और मैं तो यह कहूंगा कि उनकी पावर से या हमारी कमज़ोरी से शाह कमीशन की रिपोर्ट बेमायनी रही। यह हमारा दुर्भाग्य था कि वह मामला खटाई में डाल दिया गया। गोया जिस चीज़ के लिए काफी कशमकश थी, संघर्ष था उसको कुछ हासिल तो किया लेकिन अपनी कमज़ोरी के कारण, उसको इम्पलीमेंट नहीं करा सके। फिर हमने मोहरे–खामोशी सबत की यह हमारी कमज़ोरी थी। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह सिलसिला चलता रहा तो उसके साढ़े चार महीने बाद, पहली नवम्बर, 1966 को हरियाणा वजूद में आया और पंडित भगवत दयाल जी शर्मा मुख्यमंत्री बने। साढ़े चार महीने वह मुख्यमंत्री रहे। इलैक्शन हुए और उसके बाद वह फिर मुख्यमंत्री बने और बारह–तेरह दिन के बाद उनकी वज़ारत टूट गई और राव बीरेन्द्र सिंह जी मुख्यमंत्री बने।

उपाध्यक्षा : पंडित जी, उस वक्त वह तीन–चार महीने रहे, बाद में 13–14 दिन मुख्यमंत्री रहे।

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, राव बीरेन्द्र सिंह भी हवा के घोड़े पर सवार थे, उनके सामने भी एक ही नारा था कि मैं ज़मीदारों की मकई और बाजरा अंगूरों के भाव बिना दूंगा।

Chaudhri Partap Singh Daulta : On a point of Order, Madam. May I know as to the relevancy of all this to the subject under discussion?

Pandit Chiranji Lal Sharma : I am not criticising the personality of an individual. I have the right to criticise the Government headed by Rao Birinder Singh. I don't think if any thing stands in may way because there is no personal attack on any one.

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : हमने तो अपनी यूनिटी देखनी है। अगर हम ही उनको क्रिटेसाईज़ करेंगे तो फिर .....

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अफसोस तो यह है कि दौलता साहब भी उस वज़ारत में थे ..... (शोर) इस वास्ते दौलता साहब के जज़बात को ठेस पहुंची है, मुझे इस बात का दुःख है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : मुझे इस बात से ठेस नहीं पहुंची, मुझे तो ज़मींदारों की बात से ठेस पहुंची है।

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा कहने का मकसद यह था कि जिस वक्त 8 महीने इन लोगों की वज़ारत रही, ये शाह कमीशन की रिपोर्ट को इम्पलीमेन्ट नहीं करवा सके क्योंकि हरियाणा राज्य के अन्दर अस्थिरता थी, मज़बूती नहीं रही थी। बदकिस्मती से हरियााणा बनने के बाद यहां पर हरेक का भविष्य, हरियाणा का भविष्य उज्जवल होना चाहिये था परन्तु यहां पर, मुझे कहना तो नहीं चाहिये, जात–पात के नारे लगाकर, अपने स्वार्थ के लिये, हरियाणा की उन्नति की बजाये, हरियाणा के विकास और तरक्की की बजाये राजतीतिक नेता इस

तरह की लड़ाईयां लड़ते रहे और हरियाणा के बारे में आया राम, गया राम' के शब्द बी0बी0सी0 लंडन से युने गए, यह कितने शर्म की बात है? डिप्टी स्पीकर साहिबा, रेलों में सफर करते हैं या बसों में जाते हैं तो लाग हम से पूछते हैं : भाई कहां के रहने वाले हो, सोनीपत के, रोहतक के? उसी हरियाणा के रहने वाले हो जहां के मेम्बराना जहाज़गढ़ के मेले में बिकने वाली गाए–भैसों की तरह बिकते हैं। यह हमारे लिये कितनी शर्म की बात है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, तभी से इस हरियाणा में खरीदो–फरोख्त का काम शुरू हुआ है। पब्लिक के चुने हुए नुमाईन्दों का एक बाजार लगा, कितनी शर्म की बात है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, वह भाई भी चलते बने क्योंकि काठ की हांडी रोज़ रोज़ नहीं चढ़ती। कागज़ की नाव ज्यादा देर तक नहीं चलती, डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा में 85–87 परसेन्ट लोगों को अनाज खरीदना पड़ता था और 12–13 परसेन्ट लोगों को नाज बेचना पड़ता था। अभी के सदा एक ही दिन नहीं रहते, परनी तो आखिरकार झील में ही रहता हैं। राज वह करेगा जिसकी राज करने की नीयत हो। जब अंग्रेजों का जमाना था तो कहा करते थे कि ये टोपियां वाले क्या राज करेंगे। 1966 में ऐसा मौका आया था कि हमारे देश में रुपये में से आठ आने हकूमत अच्छी थी। वह कांग्रेस, जिसके पास सत्ता थी, ताकत थी, राजपाठ था, खज़ाना था, फौज थी.....

श्री अमर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मैं मानता हूं कि आनरेबल मैम्बर बहुत अच्छा

बोलते हैं लेकिन कुछ टाईम लिमिट भी होनी चाहिए कि ये कितनी देर बोलेंगे क्योंकि दूसरे मैम्बरों ने भी बोलना है।

पंडित चिरन्जी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर मेरे दोस्त को मेरी बात अखरती है तो मैं बैठ जाता हूं।

उपाध्यक्षा : पंडित जी, उन्होंने यह कहा कि बोलने की कोई टाईम लिमिट होनी चाहिये।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमारी पार्टी के मैम्बरों ने तो लीडर के आर्डर के मुताबिक बोलना है पर यहां पर तो आपका हुक्म चलेगा, अगर आप कहें तो मैं बैठ जाता हूं।

उपाध्यक्षा : नहीं, हमने आपको बैठने के लिये नहीं कहा। हमारा कहने का मतलब यह है कि आप और कितनी देर तक बोलेगं। आप 8–10 मिनट और बोल लें।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : नहीं जी, मैं आधा घण्टा बोलना चाहता हूं।

उपाध्यक्षा : अगर आप आधा घण्टा बोलना चाहते हैं तो मैं अपोजीशन के लीडर से पूछ लेती हूं। आप कन्टीन्य करें।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : डिप्टी स्पीकर साहिबा, हकूमत कांग्रेस के हाथ से चली गई, क्यों चली गई? यह सोचने की चीज़ थी। अंग्रेजों के राज्य में जब अंग्रेज़ी राज्य से लड़ाई

लड़ी जा रही थी तो हम लोगों को बताया करते थे कि कांग्रेस यह करेगी, वह करेगी। सन् 1952 से 1957, सन् 1957 से 1962 और 1962 से 1967 तक कांग्रेस रही। तमाम हिन्दुस्तान में तमाम प्रांतों में, कांग्रेस का राज्य था लेकिन चूंकि लोगों के सपने पूरे नहीं हुए, जो हरी–भरी खेतियां उनको दिखाई गई थीं और जो महात्मा गांधी के सपने दिखाये गये थे, कि रामराज्य होगा, यह होगा, वह होगा, लोगों की वह उम्मीदें पूरी नहीं हुई। (12:00 दोपहर) सन् 1968 के इलैक्शन में 8–9 प्रांतो में कांग्रेस के हाथों से राज्य छीन लिया गया। पंजाब में, बिहार में, बंगाल, उड़ीसा और कुछ दूसरी स्टेटों में कांग्रेस की हार हुई। वह क्यों हुई ? वह इसलिए हुई कि लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज़ हो चुका था। पांच साल, 10 साल और 15 साल देखने के बाद भी जब लोगों के सपने पूरे न हुए, तो हिन्दोस्तान की जनता के आठ–नौ स्टेटों में कांग्रेस को पलट दिया और जब कांग्रेस को झटका लगा तो हिन्दुस्तान की नेता–प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी ने कांग्रेस को झंझोड़ा और खुशकिस्मती से कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके बाद कांग्रेस में एक नई लहर आई, सोशलिज़म का प्रोग्राम आया और उसके बेसिज़ पर फिर से इलैक्शन लड़े गए और आज हम देख रहे हैं कि फिर से सारे हिन्दुस्तान में कांग्रेस बरसिरेइक्तदार है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, राव वज़ारत के बाद सन् 1968 में 6 महीने प्रैज़ीडैंट रूल होने के बाद यहां पर इलैक्शन हुए और चौधरी बंसी लाल की वज़ारत वजूद में आई। हमें इस बात की खुशी है कि 1968 से लेकर आज तक जहां तक हरियाणा की

गवर्नमैंट का ताल्लुक है, जहां तक हरियाणा की पौलिटिक्स का ताल्लुक है उसमें एक स्टेबिलिटी आई, एक मज़बूती आई, वर्ना पहले नवम्बर, 1966 से लेकर 1968 के शुरू तक यहां के लोगों का कन्फीडैंस शेक होता जा रहा था खास तौर पर इन्डस्ट्रियलिस्ट्स का, लेकिन 1968 के बाद, लोगों का फिर दोबारा कन्फीडैंस बहाल हुआ और हरियाणा में इन्डस्ट्री की डिवैल्पमैंट शुरू हो गई।

चौधरी चांद राम : सांपला की बात बताएं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मेरे भाई चौधरी चांद राम आयरौनिकली रिमार्क कर रहे हैं सांपला के बारे में ? Facts are facts and they must be squarely faced. Chaudhri Chand Ram should not be in a position to deny when I put to him that Haryana has made tremendous progress in all spheres, not only in industry.

चौधरी चांद राम : इस में सभी का कंट्रीब्यूशन हैं।

पंडित चिरंजी लाल शर्मा : मैं जो चीज अर्ज़ कर रहा था वह यह थी कि लोगों का जो कन्फीडैंस शेक हो चुका था वह 1968 के बाद दोबारा वजूद में आया फिर से इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट शुरू होने लगी। डिप्टी स्पीकर साहिबा स्टेबिलिटी आने के बाद हमारे ऊपर जो 1968 से पहले आया राम, गया राम के फिकरे कसे जाते थे अब हम महसूस करते हैं कि वह दाग धुल गया है। आज हरियाणा में पूरी स्टेबिलिटी है, गांव–गांव में

बिजली के खम्बे चमकते हुए दिखाई देते हैं, सब गांव सड़कों से कनैक्टिड हैं, पानी के लिए आटेगमैंटेशन कैनाल्ज़ बनाई जा रही हैं, यह सब कुछ क्यों हो रहा है, यह इसलिए है कि हमारी स्टेट के सामने एक ही लगन है कि हरियाणा की डिवैल्पमैंट करनी हैं, इसका भविष्य उज्जवल करना है और आज हमें इस बात का फक्र है कि हिन्दोस्तान के नक्शे में हमें एक स्थान हासिल है। पिछले सालों में इस छोटी सी स्टेट ने वह तरक्की की है कि तमाम हिन्दोस्तान के लोग उसे देख कर दग रह जाते हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा हरियाणा की सरकार ने कहा कि शाह कमीशन की जो रिपोर्ट है उसकी इम्पलीमैंट करो। शाह कमीशन की जो रिपोर्ट थी उस पर काफी जद्दोज़हद चली। हम कहते थे कि चण्डीगढ़ हमारा है और पंजाब के लीडर कहने लगे कि चण्डीगढ़ उनको मिलना चाहिए। गर्जे कि दोनों स्टेट्स ने इसको प्रैस्टीज़ इशू बना रखा था। मैं तो जाति तौर पर कहा करता था कि ठीक है चण्डीगढ़ एक खूबसूरत शहर है, यहां शानदार इमारतें हैं, तालीम के लिए अच्छे–अच्छे इंस्टिटियूशन्ज़ हैं और नौजवानों के डूबने के लिए एक लेक भी है, लेकिन हमारे हरियाणा के यह एक कोने में हैं लेकिन चूंकि इसको बनाने के लिए हमारी खून और पसीने की कमाई लगी हुई है इसलिए हमने मांग की थी कि यह हमें मिले। चण्डीगढ़ के लिए आंदोलन और मुज़ाहरे हुए और इस के लिए हिन्दुस्तान की राजधानी देहली में वह हिस्टोरिक मुज़ाहरा हुआ जिसकी मिसाल नहीं मिल सकती। देहली के अन्दर हरियाणा के चप्पे–चप्पे से, रेल गाड़ियों के ज़रिए, बसों, ट्रकों, मोटरों

साईकलों, ऊंट गाड़ियों और साईकलों के ज़रिए लाखो की तादाद में, एक दो अखबारों ने तो लिखा था कि शायद 10 लाख की हाज़री थी, वहां पर पहुंचे। हरियाणा के लोगों के उस मुज़ाहरे ने देहली को हिला दिया और देहली की सरकार यह सोचने पर मजबूर हो गइ कि हरियाणा की जनता जागृत हो चुकी है इसलिए अब उनके जजबात के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री को इस चीज का अहसास हुआ और इस तरह यह सिलसिला चलता रहा और इस मामले पर वे विचार करती रहीं। उसके बाद यह अवार्ड आया जिसे आप इन्दिरा अवार्ड कहें या सैंट्रल गवर्नमैंट का अवार्ड कहें। इस अवार्ड की रुह से चण्डीगढ़ हम से छीनने का फैसला किया गया और इसे पंजाब को देने का फैसला किया गया इस के एवज़ में अबोहर और फाजिल्का का वह इलाका जिसकी पाक जमीन में सोना पैदा होता है, आला किस्म का नर्मापैदा होता है हरियाणा को देने का फैसला हुआ। इस अवार्ड के खिलाफ भी हरियाणा में नाराज़गी का इजहार किया गया, मुजाहरे हुए, कई जगहों पर रेल गाड़ियों के शीशे भी तोड़े गए, मोटरों को भी नजरे–आतश किया गया क्योंकि हरियाणा का बच्चा–बच्चा इस चीज को महसूस करता था कि हमारे साथ शाह कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने में बेइन्साफी की गई हैं, चण्डीगढ़ हमसे छीना नहीं जाना चाहिए था और साथ ही अबोहर और फाजिल्का का इलाका हमें मिलना चाहिए था। इस पर कई जगहों पर काफी हंगामें भी हुए, यूनिवर्सिटीज़ में, कालेजिज़ मेमं और स्कूलों में भी काफी मुजाहरे हुए, गर्जे कि सारे हरियाणा में

खलबली मची, नाराज़गी का इजहार हुआ और हमारे भाई चौधरी रिज़क राम जी, जो यहां पर तशरीफ फर्मा रहें हैं, ने तो इस इशू पर इस्तीफा भी दे दिया था।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता : बहुत अच्छा।

Pandit Chiranji Lal Sharma : Well, I do give him credit for that. जिस वक्त शाह कमीशन की रिकमैंडेशन्ज आई थी और उन रिकमैंडेशन्ज की इम्पलीमैंटेशन नहीं की थी, अगर उसी वक्त यह फैसला कारदार में आता तो ज़मीन की ताकत तो क्या समुद्र के तूफान भी हमारे रास्ते में खड़े नहीं हो सकते थे। इसकी इम्पलीमैंटेशन होती! लेकिन उस वक्त हम कमजोर थे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता है हरियाणा में बहुत मुजाहरे हुए, इजहारे नाराजगी की गई। उस वक्त पंजाब में सरदार गुरनाम सिंह चीफ मिनिस्टर थे, अकाली पार्टी की सरकार थी। इस सरकार ने इंदिरा अवार्ड को, गवर्नमैंट आफ इंडिया के फैसले को एक्सैप्ट किया। इस फैसले की खुशी में सरदार गुरनाम सिंह ने हिदायत जारी की कि पंजाब के अन्दर शाही महलात पर, गवर्नमैंट आफिसिज़ पर चिरागां किया जाए। कुछ आदकियों ने उनको सुझाव दिया कि गुरनाम सिंह, क्या कर रहे हो! उन के कहने पर वह चिरागां नहीं हुआ, भगवान की दया से उन को वक्त पर अकल आ गई। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जो चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह हैं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया का जो फैसला हुआ था वह दोनों गवर्नमैंट्स को कबूल था। हमारी सरकार ने इसको 5 साल

का अर्सा रख दिया यानि दोनों प्रांत हरियाणा और पंजाब, चण्डीगढ़ में अपने दफ्तर पांच साल तक इक्ट्ठे रखेंगे। दोनों प्रांतों का यही कैपिटल होगा और अपना सारा काम चलाएंगे। इसके साथ यह भी कहा कि पांच साल के अन्दर–अन्दर इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन आज 1970, 71, 72 यानी पौने तीन साल इस फैसले को हुए हो गए हैं, अभी तक इसकी इम्पलीमैंटेशन नहीं हुई। कैपिटल बनाने के लिए भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपया कर्जे की शक्ल में तथा 10 करोड़ रुपये की शक्ल में देने का फैसला किया। कहते हैं कि 20 करोड़ रुपये में हरियाणा की कैपिटल बन जाएगी। यह हमारे साथ बहुत ज्यादती है। इन्होंने इस चीज को नजरअंदाज कर दिया कि जिस वक्त चण्डीगढ़ कैपिटल बननी शुरू हुई थी उस वक्त जमीन के भाव क्या थे, बिल्डिंग मैटीरियल की क्या कीमत थी, कुल कितना रुपया खर्च हुआ था चण्डीगढ़ बनाने के लिए। आज एक रुपये की कीमत 4 आने रह गई है और ये चण्डीगढ़ के बदले में 10 करोड़ रुपयो की ग्रांट देते हैं जिसकी चार बिल्डिंगज की कीमत आज 10 करोड़ रुपये के बराबर बनती हैं। हमने उनकी यह बात मानाली थी कि चलो, कोई बात नहीं, नई राजधानी बनायेंगे, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि ये डिसीजन पर डिसीजन क्यों लिए जात हैं। गवर्नमैंट आफ इंडिया जो हकूमत की मालिक है उनको डिसीजन आफटर डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जैसे चौधरी हरद्वारी लाल जी बतला रहे थे कि आज यहां पर कांग्रेस सरकार है, पंजाब मैं भी कांग्रेस सरकार है और सैंटर में तो है ही

कांग्रेस सरकार। जब सब जगह कांग्रेस सरकार है तो क्यों नहीं फैसले को इम्पलीमैंट करते? उस वक्त तो यह कह देते थे कि अकाली गवर्नमेंट यानी सरदार गुरनाम सिंह की गवर्नमैंट नहीं मानती। अगर नहीं मानती थी तो उसके क्या हम जिम्मेदार हैं? उनके न मानने पर हमारे साथि इतना अनर्थ, इतना जुल्म, इतनी बेइन्साफी और इतनी ज्यादती क्यों की गई? शाह कमीशन के अवार्ड को इम्पलीमैंट क्यों नहीं किया गया? इसके बाद कई साल गुजर गए, गवर्नमैंट आफ इंडिया ने एक फैसला किया था और उस फैसले को अब तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया। आप अन्दाजा लगाएं कि हरियाणा के साथ कितनी बेइन्साफी की गई फाजिल्का और अबोहर का इलाका, जो हरियाणा को दिए जाने का फैसला किया गया है उसको इम्पलीमैंट करवाने के लिए वहां की जनता पुकार–पुकार कर कह रही है कि हमें जल्दी हरियाणा में शामिल किया जाए। क्यों ? क्योंकि उनकी बोली हमारे जैसी है, उनका रहन–सहन हमारे जैसा है, उनका खान–पान हमारे जैसा है। यह इलाका ऐक्सक्लूसिवली हिन्दी स्पीकिंग एरिया है। हिन्दी स्पीकिंग एरिया होने की वजह से इस इलाके के साथ पंजाब सरकार ने सौतेली मां का सलूक किया है। वे इस इलाके के साथ डिस–क्वालिफिकेशन एनटेल करते हैं कि चूंकि यह हिन्दी स्पीकिंग एरिया है इसलिए इनको फैसिलिटीज मुहैया नहीं करनी हैं। आपको मालूम है, 1971 में लोक सभी के इलैक्शन हुए थे। (इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) चाहिए तो यह था कि इस इलाके को हरियाणा में शामिल करने की कोशिश करते और लोक

सभा के उस इलैक्शन में फाजिल्का और अबोहर के इलाके से, पार्लियामेंट मे जनता का अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने के लिए उन लोगों की मदद करते ताकि वह रिप्रेजेंटेटिव अपने इलाके को हरियाणा में शामिल करने की नुमायंदगी करता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। 1971 का इलैक्शन चला गया, 1972 का जनरल इलैक्शन चला गया, पौने–तीन ससाल का अर्सा बीत गया, लकिन कुद नहीं हुआ। अभी भी स्टेट आफ अनसैर्टनिटी दिखाई देती हैं यह ख्याल नहीं करते कि उन लोगों के दिमागों पर बड़ा बोझ है, उनकी नैया भंवर में चल रही हैं, उनको पता नहीं कि उनकी किस्मत का क्या फैसला होगा, आया वे पंजाब में रहेंगें या उनकी किस्मत हरियाणा के साि वाबस्ता की जाएगी। आप देखें, कितनी स्टेट आफ अनसैर्टनिटी है लोग परेशान हैं, और उनकी नींद हराम है। उनकी तरक्की के तमाम रास्ते, तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। पंजाब सरकार समझती है कि अबोहर और फाजिल्का का इलाका हरियाणा में जाना है इसलिए उसने उनके खेतों का पानी बंद कर दिया, उनकी तालीम के अदारों के दरवाजों पर ताला लगा दिया। हमारे कुछ आदमी गए थे, उन्होंने तबादले ख्यालात किया था कि इस फैसले को इम्पलीमैंट क्यों नहीं किया गया। हमारी जनता महसूस करती है कि हमारे साथ बेइन्साफी हो रही हैं। जनता समझती है कि हम आज कहां है किस रास्ते पर जा रहे हैं। स्पीकर साहिब, यह एक ऐसा गम्भीर मसला है जिसको हरियाणा की सारी जनता जानती है और समझती है कि हरियाणा के इस्ट्रैस्ट को इग्नौर करके इस फैसले को बदल दिया। ठीक है,

पार्टी बाजी में कौन किस ख्यालात का है, इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन जहां तक इसका ताल्लुक है, इस बात को हरियाणा का बच्चा–बच्चा जानता हैं कि अबोहर और फाजिल्का का इलाका सोना उगलने वाला इलाका है। यह जरखेज और शादाव जमीन हरियाणा का हिस्सा बनी है। अगर बनी है तो इसकी इम्पलीमैंटेशन मे इतनी देरी क्यों हो रही है ? पौने तीन साल का अर्सा हो गया हैं । 29 जनवरी 1970 से 17 अगस्त, 1972 तक पौने तीन साल का अर्सा हो गया लेकिन अभी तक इसको अमलीजामा पहनाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। कम से कम हमारे इल्म में तो ऐसी बात है नहीं कि कुछ किया जा रहा हो। गवर्नमैंट को पता होगा कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अगर अबोहर और फाजिल्का का इलाका हमें मिलता है तो हम कैपिटल बनाने की कोशिश करेंगे वरना हम चण्डीगढ़ को नहीं छोड़गें और हम छोड़ेगे ही क्यों ? जब तक इस अवार्ड को इम्पलीमैंट करके अबोहर और फाजिल्का का इलाका हरियाणा को नहीं दिया जाता तब तक चण्डीगढ़ को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं। यहां कई प्रकार की फैसिलिटीज हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी एक बहुत शानदार इन्टीच्युशन है। इसके लिए हर साल लाखों रुपया देना पड़ता है और भी कई अच्छी–अच्छी इन्स्टीच्युशन्ज़ है जिनसे हमें बहुत फायदा है। कई शानदार अदारे तामीर किए जा रह हैं जिनमें हमारी काफी कंट्रीब्यूशन है । स्पीकर साहब में आपकी मारफत अर्ज करना चाहता हूं कि जो रैजोल्यूशन चौधरी हरद्वारी लाल जी ने सदन के सामने पेश्ज्ञ किया है इसका बिना

रोक टोक सब भाई समर्थन करें। मुझे उम्मीद है, इस हाउस में जो भाई विराजमान हैं वे शाना–बशाना होकर और कदम से कदम मिलाकर इस रैजोल्यूशन का समर्थन करेंगे। हरियाणा का बच्चा–बच्चा इस चीज के लिए इस वक्त तैयार है और हमेशा तैयार रहेगा। वह वक्त बीत गया जब खलीलखां फ़ाख़ता उड़ाया करते थे। लेकिन अब हरियाणा की जनता जाग गई हैं। इसलिए मैं पुरजोर इल्फाज के साथ, कहना चाहता हूं कि अगर गवर्नमैंट आफ इंडिया ने इस फैसले को इम्पलीमैंट नहीं किया, अबोहर और फाजिल्का का इलाका हमें नहीं दिया गया और एक फर्लांग चौड़ा राज्य–क्षेत्र, जो राजस्थान और पंजाब की बांउडरी के साि लगाता हैं, हरियाणा में शामिल नहीं किया तो हरियाणा की जनता सब्र करके नहीं बैठेगी। दिल्ली के अन्दर जाकर जो मुजाहिरा किया गया था उसमें तकरीबन 10 लाख जनता पहुंची थी। अगर इस फैसले को इम्पलीमैंट नहीं किया जाता तो दिल्ली क्षेत्र की जितनी आबादी है उससे चौगुनी तादाद में हरियाणा की जनता मुजहरा करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं बरदाश्त कर सकते इस चीज को। जो इलाका हमें आना है, जो इलाक हमारा है, गवर्नमैंट आफ इंडिया जिसे कंसीड करती है, वह हमें मिलना चाहिए । स्पीकर साहब, हम तो, यह जो बाकी झगड़े हैं, जो इस रैजोल्यूशन का तीसरा जुज़ है, इसके लिए भी कमीशन का स्वागत करते हैं। कोई आंकड़े यदि इकट्ठे किए जाएं, फैक्टस एंड फिगर्ज कुलैक्ट किए जाएं तो कम से कम पंजाब के चार–पांच सौ गांव हरियाणा में और शामिल करने होंगे। कुछ दिन पहले, स्पीकर

साहब, अखबारों मे आया था। अगर आपसी गुफ्तगू से, बातचीत से या सलाह–मशविरे से इस फैसले को अमली जामा पहनाने में मदद मिलती हो तो हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। यह बहुत अच्छी बात होगी। हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब और हरियाणा के अन्दर इस अवार्ड से एक दीवार तामीर कर दी जाए जिसे मिसमार करना मुश्किल हो। हम दोनों भाई। पंजाब और हरियाणा 6 साल पहले एक था और अब भी एक है, कोई ऐसी बात नहीं हैं। लेकिन बड़ा भाई यदि छोटे भाई के हक्क को हड़प करना चाहे तो छोटे भाई को महसूस जरूर होता है । हम छोटे हैं। इसलिये यह जो रैजोल्यूशन आज हाउस के सामने है इसका समर्थन हमने करना है और करना भी चाहिए।

स्पीकर साहब, चौधरी हरद्वारी लाल जी ने अपनी तकरीर के दौरान कुछ जजबात से मुतासिर होकर कुछ बातें पिछले मैम्बरान के बारे में कहीं। मैं समझता हूं कि ऐसे रैजोल्यूशन पर बड़ी गम्भीरता से हमें बोलना है और सोचना है, जातियात पर मड–सलिंगिंग नहीं करनी है। कौन मैम्बर था कौन नहीं था, किसने क्या किया और किसने क्या नहीं किया उसमें हमें नहीं जाना है। Let the dead past behind and let us think for the future. अब तो हमने आने वाले वक्त के लिए सोचना है और जो चीज हमारी है उसको हासिल करने के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए तैयार रहना है। स्पीकर साहब, मैंने काफी समय लिया है और भाई भी इस रैजोल्यूशन पर अपने ख्यालात रखना

चाहेंगे, इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इतना समय मुझे दिया। इन शब्दों के साथ जो रैजोल्यूशन लीडर आफ दी अपोजीशन ने मूव किया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी चांद राम जी, आप संशोधन पर बोलना चाहते हैं ?

चौधरी चांद राम : हां जी ।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है आप बोलिए ।

चौधरी चांद राम (बबैन–अनुसूचित जाति) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन है जो मैं चौधरी हरद्वारी लाल जी के प्रस्ताव पर पेश करना चाहता हूं।

For the words in line 17 to end 'This House also recommends to the Govt..... has laid claim may be expedited, the following words be substituted:

"This House also recommends to the Government of India that instead of appointing a boundary Commision as envisaged, efforts should be made to start a dialogue betwee the Haryana and Punjab government to settle the claims and counter claims by the two States so that bitterness and bickerings may be avoided in the interest of peace and progress of the two States."

स्पीकर साहब, मेरे से पहले बोलने वाले भाई पंडित चिरंजी लाल जी ने इस बात की तरफ इशारा किया था कि अगर

दोनों चीफ मिनिस्टर मिलकर कोई ऐसा रास्ता निकालें कि जो दोनों तरफ के दावे किए गए हैं कि यह गांव हिन्दी स्पीकिंग हैं, ये गांव पंजाबी स्पीकिंग हैं और ये एक से दूसरी स्टेट में आने चाहिए, इनका हल आपसी बातचीत से हो जाए तो बहुत अच्छी बात हैं। मैं भी समझता हूं कि इसके बारे में कोई हद–बन्दी कमीशन, कोई सीमा आयोग मुकर्रर करने की बजाय अगर गवर्नमैंट आफ इंडिया दोनों चीफ मिनिस्टर्ज़ को या हरियाणा गवर्नमैंट और पंजाब के नुमांयदों को मिला करकेए एक मेज़ पर बैठा करके, बात कराये तो हमारे देश्ज्ञ के लिए अच्छी बात होगी। हमारी दोनों जो राज्य सरकारें है उनकी शांति, तरक्की और व्यवस्था के लिए भी मैं समझता हूं यह बहुत अच्छी और श्रेयस्कर बात होगी। स्पीकर साहब, आपको मालूम है कि आज़ादी के बाद इस देश में भाषावार प्रान्त बनाने पर बड़ा जोर दिया गया। सन् 1947 के बाद सन् 1947 के बाद सन् 1954 में कमीशन बना और सन् 1955 में कमीशन ने रिपोर्ट दी। वह री–आर्गेनाइजेशन आफ स्टेट्स कमीशन था। उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1955 के बाद कुछ स्टेट्स बनाई गई थीं। हरियाणा उस वक्त नहीं बना था। यह तो काफी देर के बाद शाह कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बना। (विघ्न) खैर, हरियाणा बन गया और मुझे खुशी है कि हरियाणा बनने से हमारी तरक्की हुई। तरक्की तो होनी ही थी क्योंकि वहां पोटैशियलिटीज थी, संभावनाएं थी। पहले जो कुदरती जराय थे हरियाणा में, उनको ऐक्सप्लायट नहीं किया जाता था, हरियाणा का पैसा हरियाणा पर खर्च नहीं होता था। स्पीकर साहब, आप तो

खुद ही हरियाणा के बड़े समर्थक रहे हैं और आप एक पत्र के द्वारा तीि कांग्रेस के बड़े–बड़े फोरम्ज में भी इस बात पर जोर देते रहे कि हरियाणा के साथ अन्याय होता है तरक्की के कामों में भी और सर्विसिज में भी। सर्विसिज में अन्याय के बारे में तो स्पीकर साहब, कुछ क्वार्टरज में आज भी कहा जाता है। सरकार तो कहती है कि चतुर और दक्ष कर्मचारी जगहें पुर करने के लिए नहीं मिलते जबकि ऐसी बात नहीं हैं। इस वजह से कहीं–कहीं कुछ क्वार्टर्ज में लोगों को शिकायत होती है लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं समझता हूं कि जिस गति से हरियाणा ने तरक्की की है वह इस बात का सबूत है कि यह जो बात थी कि छोटे राज्य तरक्की नहीं कर सकते, यह गलत बात थी और निराधार धारणा थी। हरियाणा ने इस बात को गलत साबित किया है । स्पीकर साहब, हरियाणा पहले एक बहुत बड़ा देश हुआ करता था। आर्यवर्त इसको कहते थे। कुरूक्षेत्र की भूमि इसमें ही शामिल थी। यहीं सबसे बड़ा धर्म का उपदेश्ज्ञ दिया गया था। कर्त्तव्य की लड़ाई भी यहीं हुई थी और यहां ही वेदों की रचना हुई बताई जाती है। यहां का इतिहास, स्पीकर साहब, बहुत पुराना बताते हैं। तो यह जो मौका मिला हरियाणा को, यह बहुत अच्छी बात हुई और हरियाणा बनने के बाद जो तरक्की हुई है मैं समझता हूं कि यह इस बात का सबूत है कि हम जो कुछ कहते थे देश के सामने, वह सच था। हम यह आवाज लगाते थे कि हरियाणा बनाओं, हमारे साथ सौतेली मां का सलूक हो रहा हैं, हम एक कालोनी बने हुए हैं। वह बात आज हमने सच कर दी।

हरियाणावासियों को हरियाणा को डिवैल्प करने का मौका मिला और आज फिर दूध–दही की नदियों वाली जो हवा थी, एक बात थी, वह उसी तरह बनने जा रही है। हर्षवर्धन के वक्त में, जिसकी थानेश्वर, बहुत बड़ी राजधानी होती थी। एक चीनी शफीर यहां आया था। उसने लिखा है कि हिन्दुस्तान के लोग सादे हैं, हिन्दुस्तान के लोग धोखा नहीं करते, हिन्दुस्तान के लोग अतिथि का बड़ा सत्कार करते हैं और वहां पानी मांगते हैं तो दूध मिलता है। यह बात मैं समझता हूं कि उसने हरियाणा के बारे में ही जो उस वक्त का आर्यावर्त था, लिखी थी।

स्पीकर साहब, हरियाणावासी मार्शल यानी जंग जू भी हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान ये चार स्टेट्स ऐसी हैं जिन्हें ''सोर्ड आर्म' यानी 'शमशीरे जंग' कहते हैं। यहां के जवान जो हैं वे आर्मी में जाते हैं, बार्डर सिक्योरिटी फोर्स में जाते हैं और हमारी जो दूसरी किस्म की फोर्सिस हैं, जैसे रिजर्व पुलिस, सैन्ट्रल रिजर्व पुलिस, उनमें जाते हैं। यहां का खाना–पीना और रहन–सहन ही ऐसा है कि यहां लोग बड़े बहादुर होते हैं। आज तक जितने भी आक्रान्ता या ऐग्रैसर्ज आते रहे उनका मुकाबला पंजाब की धरती पर होता रहा। यहां के लोगों ने ही उनके आक्रमण का पहला गुस्सा जो होता है उसे बरदाश्त किया। इसलिए कुदरती बात हैं कि जंगजवां की स्प्रिट हरियाणा में है। लेकिन हरियाणा की कोई बाउन्डरी न हो, हरियाणा की कोई सरहद न हो जो दूसरे देश के साथ मिलती हुई हो। इससे लोगों

की स्प्रिट पर असर पड़ता है। फाजिल्का औ अबोहर मिल जाने से वह स्प्रिट बढ़ सकती हैं। गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जो फैसला किया है, वह देष हित में किया है। पंजाब की सरहद पाकिस्तान के साथ मिलती है और हरियाणा की सरहद भी पाक्स्तिान के साथ मिल जाये तो पुरानी जंगजू स्प्रिटकायम रह सकती है। फाजिल्का और अबोहर का जो प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया है वह निहायत ही पुनासिब फैसला हैं। हरियाणा की जो पुरानी हिस्टरी की बातें थीं, उनको पूरा करने के लिए, हरियाणा के लोगों की भावनाओं को पूरा करने के लिए, यह बात की गयी थी। अब बात इतनी सी है कि उस फैसले को अमली जामा पहनाया जाये। दो साल का असम्र बीत चुका है, काफी सब्र किया जा चुका है। इस इलाके के न मिलने से हरियाणा के लोगों मे तो उत्तेजना है ही, हरियाणा के लोग तो असंतुष्ट हैं ही, परन्तु उस अबोहर और फाजिल्का के लोग भी इतने उत्तेजित और बेचैन हैं कि जिसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। आज मैं यह समझता हूं कि हिन्दुस्तान के लोगों को ये सीमा के झगड़े हदबन्दी के झगड़े भूल जाने चाहिएं। इस बारे में हकूमत को कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज की हकूमत काफी पापुलर है। उसे मैंडेट रखना चाहिए।

मैं सरकार का ध्यान अभी में हुए फैसले की और दिलाना चाहता हूं। मेरे ख्याल में कोई 16–17 साल से नर्बदा नदी का झगड़ा चला आ रहा था। उसके पानी की तकसीम का झगड़ा था। झगड़ा

भी 4–5 स्टेट्स का था। मध्यप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर और राजस्थान, इन पांचों स्टेट्स का झगड़ा थां इधर से साउथ का, नौर्थ का और वैस्ट का यानी, तीनों साइड से झगड़ा चला आ रहा है। सत्तरह साल से हैंग–ओवर कर रहा था। हमारी प्रधान मंत्री ने 17 साल के झगड़े को निपटायां हाल में हुए मैंडेट के बाद हमारी प्रधान मंत्री का व्यक्तितव इतना उभरा कि पांचों स्टेट्स के चीफ मिनिस्टरों ने एक जगह बैठ कर,प्रधान मंत्री के नेतृत्व में यह फैसला कर लिया कि नर्वदा का पानी और बिजली उन को इतनी–इतनी मिलेगी। बड़े आराम से फैसला हो गया। इसी प्रकार से अबोहर और फाजिल्का का भी फैसला होना चाहिए। फाजिल्का के लोगों के बारे में अभी पांच–सात दिन पहले अखबारों में भी आया कि स्वामी केश्वदेव और दूसरे लीडर्स के नेतृत्व में मैमोरेन्डस दिया, चार्जशीट दी। अगर हिन्दुस्तान में कोई इलाका यह महसूस करे कि हिन्दुस्तान की हकूमत हमारे साथ–साथ व्यवहार ठीक नहीं करती, वहां पर डिवैल्पमैंट का काम नहीं हो रहा, यह भी कुदरती बात है कि जब यह अन सर्टेन्टी हो, यह अनिश्चितता हो, ओर निश्चित वातावरण न हो कि कब फाजिल्का का फैसला होगा, आया यह इलाका हरियाणा में जायेगा या पंजाब सरकार भी वहां पर क्यों पैसा खर्च करेगी ? इस तरह के वातावरण में कोई भी सरकार हो, पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं हो सकती। फाजिल्का और अबोहर का मामला एवार्ड में शामिल है। अगर उस पर पंजाब सरकार खर्च न करे तो उचित नहीं, क्योंकि हमारी डिफैन्स का मामला है। अगर सरहद के लोग

सन्तुष्ट न हों, कनटैन्टिड न हों तो उनमें बेचैनी जरूर होगी। हमारे देश के साथ सन् 1962 में लड़ाई हुई, सन् 1965 में हुई और अब सन् 1971 में हुई, इन लड़ाइयों का ख्याल रखते हुए सरहद का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर श्मिला समझौता होने के बाद पाकिस्तान के और हिन्दुस्तान के हालात नार्मल हो जायें तो बड़ी अच्छी बात हैं। पाकिस्तान के हुकमरान और दूसरे लोगों में भाईचारे की जिन्दगी बसर करने की बात आ जाये तो बड़ी अच्छी चीज हैं। लेकिन जब समझौते के पश्चात् भी उनमें लड़ाई की भावना छिपी है तो हमें अपनी सरहदों को मजबूत रखना ही होगा। अगर पाकिस्तान के लोग शान्ति के साथ बैठ कर आपस में भाईचारे की भावना से कोई एग्रीमेंट कर लें तो दानों देशों में शान्ति हो सकती हैं। वैसे तो यह बार्डर हाट बार्डर है, लाईव बार्डर है, जगता हुआ बार्डर है, पता नहीं किस वक्त वहां पर लड़ाई हो जाये। फाजिल्का और अबोहर का एरिया बार्डर के बिल्कुल नजदीक है और यदि वहां के लोग सन्तुष्ट नहीं होते हैं, चैन से नहीं बैठते हैं तो डिफेन्स फोर्सिज को पूरा सहयोग नहीं मिल सकता। इसलिए गवर्नमैंट आफ इंडिया के लिए लाज़मी है कि जितनी जल्दी से जल्दी इस फैसले पर अमल हो सके, अमल कराना चाहिए।

मैंने प्रस्ताव के अन्दर यह संशोधन इसलिए पेश किया कि सन् 1955 से लेकर आज तक बाउन्डरी के ऊपर लड़ाई रही है। आज हमारे देश का इस बात पर इत्तफाक है, हमारे देश का

रूझान समाजवाद की तरफ है। आज चाहे कोई पंजाबी भाषा बोलने वाले हों, चाहे बंगला भाषा बोलने वाले हों, चाहे तामिल बोलने वाले हों, चाहे तेलगू बोलने वाले हों, सबका रूझाान समाजवाद की और है। कल अखबार में मैंने पढ़ा कि 22 करोड़ आदमी हिन्दुस्तान में ऐसे हैं जो 20 रुपये माहवार खर्च करते हैं यानी सबसिसटैन्स लेवल से नीचे करते हैं। आज हमारी चालीस फीसदी आबादी गरीबी से पिस रही है। इसमें किसी जाति विशेष, या एक ही भाषा बोलने वालों का ताल्लुक नहीं है। सभी भाषा वाले और सभी धर्म वाले लोग गरीब हों तो हमें इन सीमाओं के झगड़े से परे रहना चाहिए। ये सीमाओं के झगड़े खत्म होने चाहिएं।

हमारा देश बहुत बड़ा देश था। हमारा देश शान्ति के लिहाज से दूसरे देशों में काफी ऊचा था। हमारे देश ने बुद्ध धर्म को फैसला। धर्म के जरिए लोगों पर असर किया, हथियारों की वजह से उन पर कोई असर नहीं डाला। महाराजा अशोक ने और महात्मा बुद्ध ने दूसरे देशों में शान्ति और प्रेम का सन्देश दिया। ये सारी दुनियां में शान्ति का प्रचार करना चाहते थे। इसलिए हमें चाहिए कि अपने देश में शांन्ति पैदा करें, जितनें भी भाषा वगैरह के झगड़े हैं, वे खत्म करें। जितना जल्दी हम इन झगड़ों को समाप्त करेंगे उतना ही हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। इसी हिसाब से मैंने यह संशोधन पेश किया है। आज बाउन्डरी कमीशन बैठाने की बजाए, जो पहला पार्ट है चौधरी हरद्वारी लाल जी के रैज्योलूशन

का उससे मैं सहमत हूं। फाजिल्का और अबोहर का इलाका, प्राईम मिनिस्टर के अवार्ड का जो हिस्सा है, उस पर फौरन इम्पलीमैंटेशन होनी चाहिए, उसको फौरन हरियाणा को सौंप देना चाहिए। दूसरा तरीका यह है कि सीमा आयोग की बजाए दोनों मुख्यमंत्री हरियाणा और पंजाब के, या अधिकारी लोग मिल–मिला कर फैसला करें कि कौन सा गांव किधर जाना है। यहां कुछ भाइयों ने जिक्र किया मुबारिकपुर थाने का, अगर ये बातें प्यार से, प्रेम से एक मेज पर बैठ कर हो जायें तो बहुत ही अच्छा हो। दोनों मुख्यमंत्री एक पार्टी के हैं। यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि पिछले दिनों का हमें तजुरूबा है। वह बड़ा कड़वा तजरूबा हुआ है। सन् 1966 में सवाल तो हरियाणा और पंजाब बनने का था लेकिन हिमाचल को फायदा हुआ। मैं हिमाचल की सरकार या लोगों के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन हिमाचल तो खुद इतना बड़ा है, कालका से शुरू होता हैं और कांगड़ा और लाहौल–स्पिति तक चला जाता है। जो इलाका पहले पंजाब के पास होता था वह आज हिमाचल के पास है। कितनी दूर तक के इलाके को पंजाब ने छोड़ा और थाली मे रखकर हरियाणा और पंजाब ने उनको वह दे दिया। कसौली कभी हमारे (हरियाणा) अम्बाला जिले का हिस्सा होती थी। आपको भी पता ही है, कसौली हिल–स्टेशन है और ऐसा ही हिल स्टेशन है जैसा शिमला है। ऊंचाई भी लगभग उतनी ही है जितनी शिमले की है। अगर यहां से सीधा रास्ता बनाया जाये तो कसौली यहां से 5–6 या 7 मील पड़ती हैं वैसे अब भी सड़क के रास्ते से यह ज्यादा दूर नहीं है लेकिन अगर यहां से सीधी सड़क बनायी

जाये तो 5 या 6 मील का फासला पड़ता है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कसौली कभी अम्बाला जिले का हिस्सा होती थी और चूंकि अम्बाला हिन्दी स्पीकिंग एरिया है, इसलिये वह हमें मिल सकती थी और मिलनी भी चाहिये। (व्यवधान) शिमला तो यहां से बहुत दूर है। शिमला यहां से लगभग 60 मील पड़ता है। मेरा कहना यह है कि कसौली हमें अवश्य ही मिल सकती थी।

चौधरी बंसी लाल : अब भी सेहत कमज़ोर रह रही है क्या ?

श्री अध्यक्षः यह तो औरों की सेहत की बात करते हैं। . ... (हंसी)

चौधरी चान्द राम : स्पीकर साहब, मैंने अर्ज यह किया है कि अगर उस वक्त कसौली अम्बाला जिले का हिस्सा होती तो कुदरती तौर पर हमारा पार्ट होती और हमें मिल सकती थी। लेकिन हिमाचल, जिसको कि किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि इतना बड़ा शिमला, डलहौजी आदि मिल जायेगा, खामखाह बीच में फायदा उठा गया। इसीलिये मैंने यह संशोधन आपकी खिदमत में पेश किया है। हरियाणा और पंजाब की क्या लड़ाई है ? दोनों स्टेट्स मे मुख्यमंत्री आपस में बैठकर फैसला कर लें और गवर्नमैंट आफ इंडिया को उसे बता दें। वरना हो सकता है कि इस लड़ाई में कोई तीसरी स्टेट कुछ फायदा ले जाये। मुझे इस बारे में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चाहे कोई हिस्सा हरियाणा में रहे या

पंजाब में, आखिर वह हिन्दुस्तान में ही रहेगा। अगर हिमाचल में भी चला जायेगा, तब भी यह हिन्दुस्तान का ही एक हिस्सा रहेगा। सवाल तो सिर्फ डिवैल्पमैंट का है। हिमाचल के पास अपने इतने बड़े इलाके हैं कि अगर वह उनमें ही डिवैल्पमैंट करे तो डिवैल्पमैंट के लिये उनके पास बहुत बड़ा मैदान खुला हुआ हैं। हिमाचल बनने के बाद, उनके विकास की गति कुछ कम हुई है । इसीलिये हिमाचल के लोगों और हिमाचल की सरकार को चाहिये कि बजाये इसके कि वे और इलाकों की मांग करें, जो इलाके उनके पास हैं, उन्ही की तरक्की की तरफ जुट जायें। अगर वह ऐसा करते हैं तो हिमाचल के लोगों और हिमाचल की सरकार के लिये यह एक अच्छी बात होगी। हरियाणा की सरकार ने हरियाणा के इलाके में उस तरफ पेरेलल जो सड़क गुजारी रहै, वह एक बहुत ही अच्छा काम किया है। सिर्फ हरियाणा के लिये ही नहीं बल्कि अम्बाला और मोरनी हिल्ज के लिए भी यह एक बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूं कि मोरनी हिल्ज वाली साइड के लिये तरक्की का काफी काम हुआ है। मैं तो यहां तक समझता हूं कि अब भी जो स्कीम दूसरे इलाके के लोगों के लिये नहीं चल रही हें, वह इस इलाके और खास तौर से नारायणगढ़ तहसील के लिये सरकार ने अपने हाथ में ली हुई है। वैसे तो यह उन लोगां का हक था क्योंकि वह पहाड़ी इलाका है और बैकवर्ड इलाका है, लेकिन फिर भी, यह बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा भी सरकार ने भी काम इस इलाके के लिये किया हैं, वह और भी अच्छा किया है। मैं यह समझता हूं कि अगर सरकार दूसरे बैकवर्ड

इलाकों के लिये भी, चाहे वह अम्बाला है या किसी दूसरी तरफ का इलाका है, काम करती है, तो वह एक अच्छी बात है, बुरी नहीं है। अगर हम ऐसे पिछड़े इलाकों के लोगों को संतुष्ट कर सकेंगे तो ही वे हमारे साथि हरियाणा में रहेंगे। खास तौर पर बोर्डर एरियाज में ऐसी बात जरूर है। अगर उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जायेगा तो वह कुदरती तौर पर हमारे साथ नहीं रहेंगे। हम फाजिल्का और अबोहर के बारे में कहते हैं। वहां के लोग पंजाब सरकार के कामों से, चाहे तरक्की न होने की वजह से या भाषा के झगड़े की वजह से, संतुष्ट नहीं हैं मेरे ख्याल में ऐसे इलाके के लोगों पर बोल–चाल और रहन–सहन का भी बहुत असर पड़ता है। फाजिल्का–अबोहर के लोगों का रहन–सहन और कल्चर वगैरह हरियाणा के लोगों से मिलता–जुलता हैं, इसलिये उनके विकास की गति धीमी पड़ गयी है। मेरा कहना यह है कि कुछ खास हालात, जैसे मैंने बताये हैं, की वजह से भी ये इलाके, हमारे पास आने चाहियें। मैंने जो संशोधन यानी सुझाव दिया है, मैं इस रैजोल्यूशन के मुतहर्रक से प्रार्थना करूंगा, कि वह उसे मान लें। मेरा संशोधन यह है कि दोनों मुख्यमंत्री आपस में बैठकर फैसला कर लें, और जो भी फैसला दोनों पक्ष करे, उसे गवर्नमैंट आफ इंडिया को बता दें। नही ंतो कहीं ऐसा न हो कि झगड़ा हम दोनों करें और बीच में हिमाचल फायदा उठा जाये। हिमाचल वाले यह उम्मीद करते हैं कि झगड़ा यह दोनों करेंगे और फायदा हिमाचल को होगा। मेरे ख्याल में पिछले इतिहास को देखते हुए, पंजाब और हरियाणा जहां पर कि कांग्रेस की हकूमतें हैं, वे आपस में

कोई फैसला कर लें, तो अच्छा रहेगा। इस वक्त हमारी प्राईम–मिनिस्टर को चाहिये, जेसे उन्होंने 'नर्बदा' प्रौब्लम का, जो इतना गम्भीर रूप धारण कर गयी थी हल निकाला है, उसी तरह से हमारे झगड़े का भी कोई हल करवायें। यहां पर कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं होगा, केवल चन्द सौ गांवों का फैसला होगा। मैं दूसरी चीजों में नहीं जाना चाहता, केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर उस इलाके के लोग यह कहते हैं कि इधर आयेंगे, तो इस बात का फैसला हो जाना चाहियें। यदि दोनों स्टेट्स आपस में बैठ कर, एक मेज पर और नक्शे को देखकर, फैसला कर लें और वह फैसला गवर्नमैंट आफ इंडिया को भेज दें, तो मैं समझता हूं कि दोनों हकूमतें और दोनों चीफ मिनिस्टर देश की सेवा करेंगे। इन शब्दों के साथि मैं अपना संशोधन आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

आपकी इज़ाज़त से, बैठने से पहले मैं चीफ मिनिस्टर साहब से एक बात और कहना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और मजदूर यूनियन की तरफ से विधान सभा के बाहर एक प्रदर्शन हो रहा है। वह एक स्तर पर भूमि सुधार लागू करने के बारे में मांग लेकर आये हैं। उन्होंने मुझे एक स्मरण–पत्र दिया है, अगर आप मुनासिब समझे तो मैं इसे सदन की टेबल पर रख दूं और इसे यहां पेश कर दूं ? मैं आपके जरिये सरकार से यह प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इन लोगों का एक प्रदर्शन नीचे आया है,

इसलिये अगर सरकार का कोई नुमायन्दा वहां चला जाये, तो ठीक रहेगा।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, मैं आपको बता दूं। मुख्य मंत्री जी उन्हे मिल आये हैं और उन्होंने उनका मैमोरेण्डम ले लिया है।

चौधरी चान्द राम : अगर उन्होंने मैमोरेन्डम ले लिया है तो बहुत अच्छी बात हैं। यदि आप इज़ाजत दे ंतो यह मैंमोरेन्डम भी मैं यहां रख दूं।

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मैमोरैन्डम ले लिया हैं।

चौधरी चान्द राम : अगर आप इसकी जरूरत नहीं समझते, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब इसे ले आये हैं, तो कोई बात नहीं है। वह मैमोरैंडम भी गवर्नमैंट के पास ही पहुंचा है। आपका बहुत–बहुत शुक्रिया।

Mr. Speaker : Motion Moved :-

For the words in line 17 to end 'This House also recommends to the Government..... has laid claim may be expedited'; the following words be substituted:

"This House also recommends to the Government of India that instead of appointing a boundary Commission as envisaged, efforts should be made to start a dialogue between the Haryana and Punjab Government to settle the claims and

counter-claims be the two States so that bitterness and bickerings may be avioded in the interest of peace and progress of the two States."

श्री राम सरन चन्द मित्तल (नारनौल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव आज लीडर आफ दी अपोजीषन ने पेश किया है, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत महत्वपूर्ण हे और हरियाणा के लिये यह एक बहुत जरूरी चीज है। जो दो–तीन भाषण अभी हुए, उनमें एक बात यह कही गयी कि अंग्रेजों के जमाने में, क्योंकि गदर हरियाणा से शुरू हुआ, इसलिये उसे सजा मिली कि उसके कुछ हिस्से इधर–उधर दे दिये गये। दरअसल अब अंग्रेजों के इतिहास का ज्यादा महत्व नहीं रहा। उन्होंने हिन्दुस्तान पर जो शासन किया, वह हिन्दुस्तान के फायदे के लिये नहीं किया था। वह तो उन्होंने अपने इम्पीरियल इन्ट्रेस्ट के लिये किया था। उस वक्त, अंग्रेजों के जमाने में, भारत के अन्दर बर्मा भी शामिल था। यहां तक कि अदन भी, बाम्बे प्रैजीडैन्सी के अन्दर शामिल था। उनका इन्ट्रैस्ट हिन्दुस्तान के भले के लिये नहीं था। जिस तरह से उनके राज्य को फायदा होता था, उस के मुताबिक वह काम करते थे। इसी प्रकार से हरियाणा पंजाब और जितने भी सूबे थे, उन्होंने अपने हिसाब से बनाये थे। उनको बंगाल सूट नहीं करता था। उन्होंने उसके दो टुकड़े कर दिये। लेकिन बाद में जब बंगाल में जबरदस्त एजीटेशन हुई तो दोनों टुकड़े मिलाकर एक कर दिये गये। एक बात उन्होंने यह कि कि कलकत्ता जो उस समय तक भारत की राजधानी ाी, राजधानी को उन्होंने दिल्ली

ट्रांसफर कर दिया। मेरा कहने का मतलब यह है कि हिन्दुस्तान के अन्दर जितने भी उस समय सूबे बने हुए थे, वे कोई सांइटिफिक तरीके से या किसी असूल पर आधारित नहीं थे। उनकी सरकार का असूल यह था कि जिस तरह से उनकी इम्पीरियल गवर्नमैंट ठीक चले, उस तरह से काम करो। 1947 से पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस के जहां भी सैशन हुए अमूनन हर जगह एक प्रस्ताव पास होता था कि जब हिन्दुस्तान को स्वराज्य मिलेगा तो उसके बाद लिंग्विस्टि बेसिज़ पर, भाषा के आधार पर तमाम हिन्दुस्तान का फिर से टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। करीब–करीब ऐसा प्रस्ताव पास होता था, क्योंकि उस वक्त के सूबे किसी बेसिज पर नहीं थे। लेकिन आज़ाद होने के बाद फिर यह देखा गया कि अगर हिन्दुस्ताान में सूबों की तकसीम फिर की गई तो यह हमारे फाईव ईयर प्लान के अन्दर काफी रुकावट डालेंगे। 1949 में जयपुर के सैशन में एक हाई पावर्ड कमेटी मुकर्रर की गई जिसमें हिन्दुस्तान के टाप के लीडर, स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल और कांग्रेस के प्रैजीडेन्ट डाक्टर पट्टा भी सीता रमैया थे। उनकी राय थी कि इस वक्त टैरिटोरियल सूबाई डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा समय या शक्ति खराब न की जाए क्योंकि हमारा हिन्दुस्तान अभी काफी बैकवर्ड है। करीब बीस साल तक जरूरी है कि यह टैरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होनी चाहिए लेकिन उसके बाद मद्रास में श्री सीता रमोलो की मृत्यु हुई उस पर कांग्रेस ने इस बात को कबूल किया कि री–डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया जाए। स्टेट्स री–आर्गेनाईजेशन कमीशन बैठाया, उसमें भी कुछ चेन्ज़िज हुई।

अभी लीडर आफ दी अपोज़ीशन ने बताया कि उस वक्त हमारे ही कुछ आदमियों ने जोकि उस वक्त वहां पर पावर में थे, कुछ गल्तियां की थीं जिसकी वज़ह से यह फाजिल्का और अबोहर के जो एरियाज हैं दूसरे रीजन में चले गए। ठीक है। मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं तो उस टाईम पैम्सू में था लेकिन जो कुछ भी गल्ती हुई, अब हमको उन गल्तियों या उन कमजोरियों में जाने की जरूरत नहीं है। पंजाब के लोगों की खासकर कुद तबके के लोगों की डिमान्ड थी कि पंजाबी सूबा बने और हिन्दी रीज़न अलग हो, मगर अफसोस है कि इस मामले में हरियाणा में पूरी युनिटी नहीं हुई। एक तबका चाहता था कि पंजाबी सूबा बने और हरियाणा अलग हो जाए तो हमारे हरियाणा की डिवैल्पमैंट का काम अच्छा हो जाएगा। हम लोग उसमें शामिल हुए, हमने उसमें पूरा हिस्सा लिया। कुछ कहते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर झगड़े हुए। पानीपत के अन्दर हमारे दो–तीन नेशनल बर्करज जलाए गए। आखिर फैसला यही रहा कि पंजाब और हरियाणा अलग बनेगा और उस वक्त बाउंडरी कमीशन ने हरियाणा को चंडीगढ़ दिलाया। ठीक है, चंडीगढ़ एक कोने में है। गुड़गांवा, महेन्द्रगढ़ और हिसार के लोगों को आने में काफी दिक्कत उठानी पड़ती है और राजधानी में हरेक को आने–जाने का काम भी पड़ता है। राजधानी सेन्ट्रल प्लेस में होनी चाहिए। इसमें शक नहीं कि चंडीगढ़ एक बहुत ही सुन्दर जगह है। हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनियां के दूसरे लोग भी चंडीगढ़ की तारीफ करते हैं। हमारे लिए अफसोस की बात यह है कि जब बाउंडरी कमीशन ने

हरियाणा को यह चंडीगढ़ दिला दिया, फिर भी चंडीगढ़ हमारे हाथ से निकल गया, यह हमारी कमजोरी का सबूत है। यह हमारे लिए अच्छा नहीं है। उस वक्त सैन्टर के अन्दर हरियाणा का कोई वजीर, उप–मंत्री या स्पीकर कोई नहीं था और उधर पंजाब के सैन्टर में इंफ्यूऐंशियल आदमी थे। उनका जोर डलता था और इसी वज़ह से, बावजूद इस बात के कि चंडीगढ़ हरियाणा को अलाट किया गया था, वह पंजाब को दे दिया गया। यह चीज थी जिसका सब को अफसोस है। मगर सैन्टर का फैसला मानना पड़ेगा। हमारी प्राईम मिनिस्टर ने एक अवार्ड दिया कि चंडीगढ़ को उधर दे दो लेकिन चंडीगढ़ के जाने से पहले हरियाणा को पूरी तरह से कम्पेनसेट किया जाए और अबोहर और फाजिल्का जो हिन्दी स्पीकिंग एरियाज़ हैं उनको हरियाणा में शामिल किया जाए। अगर कुछ इलाके, जो कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज़ हैं वे इधर हैं और कुछ हिन्दी स्पीकिंग एरियाज़, जो उधर हैं उनके लिए एक कमीशन मुकर्रर हो। एक शर्त यह भी रखी कि कमीशन का जब तक फैसला हो, जब तक टर्म्ज़ आफ रैफ्रेंस सैटल हों और कमीशन की रिपोर्ट न आ जाए, उसके बाद ही यह अवार्ड अमले में आए। गोया अबोहर और फाजिल्का के ये इलाके जो कि हिन्दी भाषी हैं, हरियाणा को मिलने चाहिएं लेकिन यह अमल में तब आये जब कमीशन अप्वायंट होने के बाद अपना फैसला दे दे। यह फैसला हमारी केन्द्रीय सरकार ने, हमारी प्राईम मिनिस्टर ने किया। यह फैसला हरियाणा ने कबूल किया और न सिर्फ हरियाणा ने कबूल किया बल्कि पंजाब की हकूमत जो कि नान–कांग्रेस

गवर्नमैंट थी, उसने भी इसे कबूल किया और यह फैसला मान लिया। इस फैसले को हुए काफी अर्सा हो गया है लेकिन अभी गाड़ी वहीं की वहीं पर है, आगे नहीं चली है। हमारे अबोहर और फाजिल्का के आदमी जो हिन्दी भाषी हैं उनकी शिकायत है कि अब पंजाब सरकार को उनमें इन्ट्रैस्ट नहीं रहा हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह इलाका उनके हाथ से जाएगा। यह हमारे हाथ में है कि हम उनके इन्ट्रैस्ट को सेफगार्ड करें, उसे लुक आफटर करें। यह एक ऐसी पोज़ीशन है जिसमें हम सबकी और सदन की हमदर्दी उनके साि है। लेकिन यह सिर्फ शब्दों की ही सिम्पथी या हमदर्दी है। प्रैक्टिकली से हम कुछ नहीं कर सकते। उन्हें हरियाणा में मिला दिया जाए आखिर मिलना तो उन्हें है ही और अगर यह नहीं हो सकता तो मैं मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि कम से कम सैन्ट्रल गवर्नमैंट पर इस बात के लिए जोर दें कि फिलहाल, जब तक चंडीगढ़ का और दूसरे इलाकों का फैसला न हो जाए तब तक उसको युनियन टेरेटरी बना दिया जाए ताकि उन लोगों को जो दिक्कत है, वह मिट जाए। इस अवार्ड पर कोई झगड़ा नहीं हैं। हमको अवार्ड को मानना पड़ेगा। इस अवार्ड को जब नान–कांग्रेस गवर्नमैंट ने कबूल कर लिया, फिर आजकल तो वहां पर कांग्रेस गवर्नमैंट है औ यहां पर भी कांग्रेस गवर्नमैंट है तो इसे दोनों को मान लेना चाहिए। जहां तक फाजिल्का और अबोहर का ताल्लुक है, यह मसला हल हो जाना चाहिए ताकि उन लोगों की जो दिक्कतें हैं वे दूर हो सकें। फाजिल्का और अबोहर को या तो हरियाणा में शामिल कर दिया जाए या यूनियन टेरेटरी

बना कर उनके इन्ट्रैस्ट को सेफगार्ड किया जाए। मेरे प्वायंट करने का मतलब यह है कि हाल में कोई फैसला होने वाल नहीं है, यह काफी टाईम लेगा चौधरी चांद राम ने अभी एक अमैंडमैंट पेश की है कि सैंन्ट्रल गवर्नमैंट दोनों गवर्नमैंट्स को रहे.....

श्री अध्यक्ष : मित्तल साहब, समय हो गया है।

श्री राम सरन चन्द मित्तल : अगर समय हो गया है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव अगले गैर–सरकारी दिन को जारी रहेगा। सदन कल साढ़े नौ बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है।

1.00 सांय

(इस समय सदन शुक्रवार दिनांक 18 अगस्त, 1972, 9. 30 बजे प्रातः तक के लिए स्थगित हुआ)